

अ.	सामाजिक अंकरें		
क्रम संख्या	विवरण		आंकड़े
1	सेप्टेम्बर		94163 राज्य की जी.
2	अ 2001 के जनगणना के अनुसार ब 2011 के जनगणना के अनुसार	जनसंख्या गण्डीय घटत्व = 325 प्रति व्यक्ति वर्ष कि.मी. गण्डीय औसत = 27.5 प्रतिशत	8.3 घटें 10.38 कठोर
3	अ 2001 के जनगणना के अनुसार ब 2011 के जनगणना के अनुसार	जनसंख्या का घटत्व ( 2001 के जनगणना के अनुसार ) गण्डीय घटत्व = 325 प्रति व्यक्ति वर्ष कि.मी. जनसंख्या का घटत्व ( 2011 के जनगणना के अनुसार ) गण्डीय घटत्व = 38.2 प्रति व्यक्ति वर्ष कि.मी.)	881 प्रति व्यक्ति वर्ष कि.मी.
4	अ 2001 के जनगणना के अनुसार ब 2011 के जनगणना के अनुसार	जनसंख्या का घटत्व ( 2001 के जनगणना के अनुसार ) गण्डीय घटत्व = 38.2 प्रति व्यक्ति वर्ष कि.मी.) जनसंख्या ( 2001 के जनगणना के अनुसार ) गण्डीय औसत = 64.8 प्रतिशत	1102 प्रति व्यक्ति वर्ष कि.मी.
5	अ 2001 के जनगणना के अनुसार ब 2011 के जनगणना के अनुसार	जनसंख्या ( 2001 के जनगणना के अनुसार ) गण्डीय औसत = 74.0 प्रतिशत) शिष्य मृत्यु दर ( प्रति 1000 जन्म पर ) (गण्डीय औसत = 50 प्रति 1000 जन्म पर ) जीवन का संभावित जन्म दर (गण्डीय औसत = 63.5 वर्ष)	41.4 प्रतिशत 47 प्रतिशत 63.82 प्रतिशत 52
6	अ 2001 के जनगणना के अनुसार ब 2011 के जनगणना के अनुसार	जनसंख्या ( 2001 के जनगणना के अनुसार ) गण्डीय औसत = 0.30 ) शहरी ( संघर्ष भारत = 0.37 )	0.20 0.33
7	अ साल 2010-11 वर्तमान दर पर ब साल 2010-11 वर्तमान दर पर	साल 2010-11 वर्तमान दर पर (जी.एस.डी.पी. 2010-11 ) प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. जी.ए.जी.आर. (2001-02 से 2010-11 )	213073 घटें 11.44 प्रतिशत 11.32 प्रतिशत
8	अ साल 2010-11 वर्तमान दर पर ब साल 2010-11 वर्तमान दर पर	साल 2010-11 वर्तमान दर पर (जी.एस.डी.पी. 2010-11 ) प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. जी.ए.जी.आर. (2001-02 से 2010-11 )	15.61 प्रतिशत 14.68 प्रतिशत
9	अ साल 2010-11 वर्तमान दर पर ब साल 2010-11 वर्तमान दर पर	साल 2010-11 वर्तमान दर पर (जी.एस.डी.पी. 2010-11 ) प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. जी.ए.जी.आर. (2001-02 से 2010-11 )	25.07 प्रतिशत 17.56 प्रतिशत
10	अ साल 2010-11 वर्तमान दर पर ब साल 2010-11 वर्तमान दर पर	साल 2010-11 वर्तमान दर पर (जी.एस.डी.पी. 2010-11 ) प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. जी.ए.जी.आर. (2001-02 से 2010-11 )	15.61 प्रतिशत 14.68 प्रतिशत
11	अ साल 2010-11 वर्तमान दर पर ब साल 2010-11 वर्तमान दर पर	साल 2010-11 वर्तमान दर पर (जी.एस.डी.पी. 2010-11 ) प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. जी.ए.जी.आर. (2001-02 से 2010-11 )	25.07 प्रतिशत 17.56 प्रतिशत
12	अ साल 2010-11 वर्तमान दर पर ब साल 2010-11 वर्तमान दर पर	साल 2010-11 वर्तमान दर पर (जी.एस.डी.पी. 2010-11 ) प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. जी.ए.जी.आर. (2001-02 से 2010-11 )	25.07 प्रतिशत 17.56 प्रतिशत

<sup>1</sup> यह आय के असामाजिक वितरण का माप है जहाँ शूल्य पूर्ण समानता को दर्शाता है एवं एक पूर्ण असमानता को दर्शाता है।<sup>2</sup> जी.एस.डी.पी. = साल 2010-11 वर्तमान दर पर<sup>3</sup> जी.ए.जी.आर. = निश्चित वार्षिक विकास दर

# परिशिष्ट 1.1

---

ब्र कम सं०	विवरण	वित्तीय आँकड़े			
		आँकड़े (प्रतिशत में)		2001-02 से 2009-10	2001-02 से 2010-11
1	सी.ए.जी.आर.				
		सामान्य कोटि के राज्य	बिहार	बिहार	
क	राजस्व प्राप्तियों का .	15.20	17.41	18.25	
ख	अपने कर राजस्व का	14.53	16.90	17.44	
ग	गैर कर राजस्व का	13.87	24.64	14.69	
घ	कुल व्यय का	13.53	16.02	16.31	
ड.	पूँजीगत व्यय का	22.61	33.14	32.22	
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	12.73	14.69	14.05	
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	11.97	13.09	12.53	
ज	वेतन एवं मजदूरी का	11.45	7.85	8.00	
झ	पेशन का	14.09	8.35	11.67	

स्रोत: वित्तीय आँकड़ा वित्त लेखे पर आधारित आँकड़े हैं। बी.पी.एल. (योजना आयोग एवं एन एस एस ओ आँकड़े 61वें राउण्ड एनटीटीपी:// योजना आयोग निक.ईन/डाटा/डायवेर/डाटा 0910 टेब%2021 पीडीएफ), गिल्ली गुणांक (योजना आयोग का गैर सरकारी प्रावकलन एवं एनएसएसओ डाटा, 61वें राउण्ड 2004-05 एम आर पी), जीवन का संभावित जन्म दर (भारत के महानिबंधक का कार्यालय: गृह मंत्रालय, आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11, शिशु मृत्यु दर (उत्तरारेस बुलेटिन जनवरी 2011), जनसंख्या घनत्व (भारत के महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय: गृह मंत्रालय एवं शिक्षा) अवधि 2001-02 से 2009-10 या 2010-11 के मामले में।

**सरकारी लेखे की संरचना :** सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है (i) अंतर्गत निधि, (ii) आकर्षितका निधि एवं (iii) लोक लेखा

**भाग I संचित निधि :** सरकार द्वाया प्राप्त सभी राजस्व, कौशलगार विपत्रों को निर्णय कर इन्हें किए गए सभी ऋण, वाहन एवं आंतरिक ऋण एवं ऋणों के पुनर्भूतान हेतु सरकार द्वाया प्राप्त सभी वस्तुएँ एक संचित निधि का निर्माण करते हैं जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित “राज्य की संचित निधि” है।

**भाग II : आकर्षितका निधि :** संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकर्षितका निधि राजस्वपाल के व्यवाल हेतु एक कोष है जो विधानमंडल के लंबित प्राधिकार तक आवश्यक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु अधिक मुहेव्या करता है। तपश्चात विधान मंडल से ऐसे व्यय एवं संचित निधि से समर्पित राशि की निकासी हेतु अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित “राज्य की संचित निधि” की प्रतिपूर्ति हो जाती है।

**भाग III : लोक लेखा :** कुछ विशेष लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षण निधि, जमा उत्तर, प्रेषण इत्यादि जो संचित निधि का अश नहीं है, से संबंधित प्राप्तियाँ एवं भुगतान संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं एवं विधान मंडल द्वाया भारत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं।

### परिशिष्ट 1.2 भाग क : वित लेखे की रूपरेखा

#### उपरेखा

**वित लेखा** से भागों में वितरित है। भाग एक से सरकार के वितीय विवरण के सारांशीकृत रूप में और भाग दो में विस्तृत विवरण प्रस्तुत है। भाग एक में भारत विभागका महालेखाप्रदेशक के प्रमाण-पत्र वार सार्वजनिक विवरण और लेखाओं की योजना पर विषयीकृत करते हुए जीवे दिया गया है।

**विवरण संख्या 1** **वितीय स्थिति का विवरण :** सरकार की परिसंपत्तियों एवं दिवित्यों के संचयी अंकड़े, जो वर्ष के अंत में रहता है, विवरणी में दिखाये गए हैं। ये परिसंपत्तियों से सरकार की भौतिक परिसंपत्तियों को दर्शाने वाली उत्तरीनार पूँजीगत व्यय के आँकड़ों के लिए मुख्यतः वितीय परिसंपत्तियों हैं। लेखा नीति के तहत परिसंपत्तियों को एकत्रित करके मूल्य पर दिखाया गया है।

**विवरण संख्या 2** **प्राप्तियों एवं संचितराऊ का विवरण :** यह सरकार द्वाया चालू वर्ष में सरकारी लेखे के तीनों भागों-संचित निधि, आकर्षितका निधि एवं लोक लेखा में प्राप्तियों एवं संचितराऊ का संक्षिप्त विवरण है। इसके आकर्षितका राजस्व एवं पूँजीगत लेखा से संबंधित प्राप्तियों एवं व्ययों को संचित निधि के तहत पृथक रूप से दर्शाया गया है।

**विवरण संख्या 3** **प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि):** इसके अंतर्गत राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों एवं सरकार द्वाया प्राप्त सरकार द्वाया दिए गए कर्ज एवं पेशगियों की वसूलियाँ सूचीबद्ध हैं।

**विवरण संख्या 4** **व्यय की विवरण (समेकित निधि) प्रयोजनवार एवं प्रकृतिवास- व्यय विवरण :** यह विवरण ज केवल प्रयोजनवार व्यय को दर्शाती है बल्कि व्यय की गतिविधि की प्रकृति (विषय शीर्षवार व्यय) को भी सारांशिकृत करती है।

**भाग I में छ:** विवरणी शामिल हैं जो निम्नलिखित हैं-

**विवरण संख्या 5** **भागानी पूँजीगत व्यय का विवरण :** यह विवरण प्रगामी पूँजीगत व्यय को कार्यकारी शीर्षवार बतलाता है जिसकी समिक्षित विवरण-1 में दर्शाया गया है।

## परिशिष्ट 1.2

विवरण संख्या 6	<b>उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण :</b> सरकार द्वारा ली गई उधार स्वरूप बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं पेशागियाँ सम्मिलित हैं। इन दोनों को मिला कर राज्य सरकार का लोक ऋण निर्मित होता है। इसके अतिरिक्त यह संक्षिप्त विवरणी अन्य दायित्वों जो लेखा अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के शेषों को भी दर्शाता है। लोक लेखा के संबंध में सरकार निधि के संरक्षक या व्यासी के रूप में कार्य करती है। अतएव यह लेखा सरकार के दायित्वों को संस्थापित करती है। इस विवरणी में ऋणशोधन कार्य संबंधी टिप्पणी अर्थात् निवल ब्याज प्रभार जिन्हें राजस्व प्राप्तियों से वहन किया जाता है का भी उल्लेख है।
<b>परिशिष्ट 1.2 भाग ख : वित्त लेखा की रूपरेखा</b>	
विवरण संख्या 7	<b>सरकार द्वारा दिये गए कर्ज तथा पेशागियों का विवरण :</b> सरकार द्वारा दिये गए कर्ज एवं पेशागियों को विवरण संख्या 1 में दर्शाया गया है तथा तत्संबंधी वसूलियाँ एवं संवितरणों को विवरण संख्या 2,3 तथा 4 में दर्शाया गया है। यहाँ कर्ज एवं पेशागियों को प्रभागवार-ऋणवार समूह में सारांशीकृत किया गया है। इसके अंतर्गत बकाये कर्ज की वसूलियाँ संबंधी टिप्पणी सम्मिलित हैं जिसके विस्तृत आँकड़ों का संधारण महालंब्राकार कार्यालय एवं संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है।
विवरण संख्या 8	<b>राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायक अनुदान का विवरण :</b> यह अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा समूहवार संघटित किया गया है। इसमें वस्तु के रूप में दिये गए अनुदान पर टिप्पणी भी अंकित है।
विवरण संख्या 9	<b>सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण :</b> सरकार द्वारा वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों की ऋण वापसी हेतु दी गयी गारंटियों एवं वर्ष के अंत तक लंबित प्रत्याभूत राशियों का उल्लेख इस विवरणी में प्रदर्शित किया गया है।
विवरण संख्या 10	<b>दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण :</b> इस विवरण के अंतर्गत सरकार के दत्तमत एवं प्रभारित व्ययों को विस्तृत उल्लेख है।
<b>भाग II:</b> इस भाग में नौ विवरण सम्मिलित हैं जो लघुशीर्षवार हुए संव्यवहारों को दर्शाता है जो खण्ड I एवं खण्ड II के भाग I के विवरणों में सदृश अनुकूल है।	
विवरण संख्या 11	<b>लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का ब्योरेवार विवरण :</b> यह विवरण सरकार के राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत रूप में दर्शाता है।
विवरण संख्या 12	<b>लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्योरेवार विवरण :</b> यह विवरण सरकार के राजस्व व्यय को विस्तृत रूप में दर्शाता है। गैर योजना एवं योजनागत आँकड़ों को अलग-अलग एवं विगत वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनात्मक रूप में दर्शाया गया है।
विवरण संख्या 13	<b>पूँजीगत व्यय का ब्योरेवार विवरण :</b> इसके अंतर्गत सरकार के पूँजीगत व्यय का विस्तृत उल्लेख है। गैर योजना एवं योजनागत आँकड़ों को अलग-अलग एवं विगत वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें वर्ष के अंत तक संचयी पूँजीगत व्यय का वर्णन भी सम्मिलित है।
विवरण संख्या 14	<b>सरकारी निवेशों का ब्योरेवार विवरण :</b> विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी और डिबेचर के रूप में सरकारी निवेशों की विगत एवं चालू वर्ष की स्थिति को इस विवरणी में दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत शेयरों का प्रकार, अंकित मूल्य, प्राप्त लाभांश का भी उल्लेख किया गया है।
विवरण संख्या 15	<b>उधार एवं अन्य दायित्वों का ब्योरेवार विवरण :</b> सरकार द्वारा प्राप्त उधार एवं अन्य दायित्वों (बाजार ऋण तथा भारत सरकार से प्राप्त कर्ज) को लघुशीर्षवार, उसकी परिपक्वता एवं ऋण की वापसी संबंधी रूपरेखा इस विवरण में प्रस्तुत किया गया है। यह विवरण खण्ड 2 के भाग 1 में विवरण संख्या 6 का विस्तृत रूप है।

## परिशिष्ट 1.2

विवरण संख्या 16	<b>सरकार द्वारा किये गए कर्ज एवं पेशेशियों का ब्लॉर विवरण :</b> सरकार द्वारा दिये गए कर्ज एवं पेशेशियों का ब्लॉर, ऋण शेषों में बदलाव, ऋण का अपलेखन, ऋणों पर प्राप्त अवृत्त आदि को इस विवरण में दर्शाया गया है। इसमें योजनागत कर्ज को अलग से दर्शाया गया है। यह विवरणी 7 का अण्ड 2 के भाग । के विवरणी 7 का विस्तृत रूप है।
विवरण संख्या 17	<b>ब्लॉर लिपियों के स्रोत तथा उनके अनुप्रयोग (राजस्व लेख को छोड़कर)</b> का ब्लॉर वार विवरण : पूँजीगत एवं अन्य व्यय (व्यय शीर्ष राजस्व लेख को छोड़कर) व्यय के लिए निधियों के स्रोतों का उल्लेख इस विवरणी में किया गया है।
विवरण संख्या 18	<b>आकस्मिकता निधि तथा लोक लेज के संबंधितों को ब्लॉर विवरण :</b> इस विवरण के अंतर्गत वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में हुए बदलाव, निधि को विजियोराज, व्यय एवं वापस प्राप्त किये गये राशि को दर्शाया गया है। इसमें लोक लेज के संबंधितों की भी विस्तृत रूप में दर्शाया गया है।
विवरण संख्या 19	<b>अदिवास निधियों के निवेशों का ब्लॉर विवरण :</b> अदिवास निधियों से लोक लेजों में निवेशों की विस्तृत ब्लॉर इस विवरण में दर्शाया गया है।

चुनिंदा राजकोषीय परिवर्तनशीलता के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिमान/उच्चतम सीमा एवं राजकोषीय समूहों के लिए इनके प्रक्षेपण के साथ राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय अधिनियम एवं अन्य विवरणियों में अपनी प्रतिबद्धता/प्रेक्षण अधिनियम (ए/रशिष्ट 1.2 का भाग ख) के अंतर्गत विधानमंडल के समक्ष मुख्य राजकोषीय योग की प्रवृत्ति एवं प्रतिरूप के गुणात्मक निर्धारण हेतु रखे जाने की आवश्यकता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) को राज्य के आर्थिक निष्पादन का अच्छा सूचक मानते हुए मुख्य राजकोषीय समुच्चय जैसे कर एवं करेतर राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा मुख्य राजकोषीय घाटा को चालू बाजार दर पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किया गया। विगत पाँच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति नीचे दर्शायी गई है :

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) वर्तमान दर पर

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में )	103317	118687	150709	175245	213073
जी.एस.डी.पी. का विकास दर	23.66	14.88	26.98	16.28	21.59

स्रोत : निदेशालय संिख्यकी एवं आर्थिक विभाग, बिहार सरकार

नोट : 2008-09 के आंकड़े अपर्बंधिक अनुमान पर हैं, 2009-10 त्वरित अनुमान एवं 2010-11 अग्रिम अनुमान पर हैं।

कुछ चुने हुए शब्दों जिनका प्रयोग राजकोषीय समुच्चय के प्रवृत्ति एवं प्रतिकृति के निर्धारण में किया गया है, परिभाषा के साथ नीचे दिए गए हैं।

शब्द	गणना का आधार
प्राचल की उत्पादकता	प्राचल की वृद्धि दर/जी.एस.डी.पी. वृद्धि दर
अन्य प्राचल (Y) के संदर्भ में प्राचल (X) की उत्पादकता	प्राचल (X) की वृद्धि दर/ प्राचल (Y) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	[(चालू वर्ष की राशि/पूर्व वर्ष की राशि)-1]*100
विकास व्यय	समाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
समुचित व्यय	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान / [ पिछले वर्ष की राजकोषीय दायित्व की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय दायित्व)2]*100
ब्याज विस्तार	जी.एस.डी.पी. वृद्धि - औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	संचित ऋण * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(प्रारंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव मुख्य शीर्ष 2048 ऋण की परिहार्यता की कमी के लिए विनियोजन में अंकित व्यय को छोड़कर सभी योजना अनुदान एवं गैर योजना राजस्व व्यय

[विहार अधिनियम 25, 2010]  
 राजकोषीय समेकन के लिये तेस्रोंवें वित्त आयाग द्वारा यथा अवृश्चसित पुनर्नीक्षित रूपरेखा को लागू करके एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्रक्रिया को और पारदर्शी तथा व्यापक बनाने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन करने हेतु विहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट अधिनियम 2006 का संशोधन करके के लिए अधिनियम।  
 भारत गणराज्य के इकसलवें वर्ष में विहार राज्य विधान संडेश द्वारा विन्मत्तिरूप रूप में यह अधिनियम थे:-

1. (अ) यह अधिनियम विहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।  
 (ब) इसका वित्तान संपूर्ण विहार राज्य में होगा।  
 (स) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस विनियम विघत करें।
2. विहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-2 में संशोधन 1-विहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (विहार अधिनियम 5, 2006) की धारा 2 में उप-धारा (३) के बाद विन्मत्तिरूप नवी उप-धारा (५) जोड़ी जायेगी:  
 (अ) “ऋण” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा आज पर ली गई उधार की राशि।
3. विहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-3 में संशोधन 1-विहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (विहार अधिनियम 5, 2006) की धारा-3 की उप-धारा (८) विन्मत्तिरूप द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:  
 (अ) “राजकोषीय सुधार के मार्ग पर आजे के लिए वर्ष 2007-08 में शून्य राजस्व धारा अवया राजस्व अधिशेष प्राप्त करने पर वर्ष 2011-12 तक सकल राज्य धरेलू उत्पाद का ३ (तीव्र) प्रतिशत राजकोषीय धारा प्राप्त करेगी और उसे उसके बाद बनावे रखना होगा”।
4. विहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-9 में संशोधन 1-विहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (विहार अधिनियम 5, 2006) की धारा 9 (ख) विन्मत्तिरूप द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:  
 (अ) “वित्तीय वर्ष 2010-11 में सकल राज्य धरेलू उत्पाद का राजकोषीय धारा 3.5 प्रतिशत करेगी एवं वर्ष 2011-12 में यह 3 प्रतिशत होगी और इसे वर्ष 2014-15 तक बनाये रखना होगा”।
5. विहार अधिनियम 5, 2006 की धारा 9 में संशोधन 1-विहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (विहार अधिनियम 5, 2006) की धारा-9 की उप-धारा 2 के ऊंचे (स) के बाद विन्मत्तिरूप नवा अण्ड (ग) जोड़ा जायेगा:  
 (स) “ऋण के सकल राज्य धरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के लिये कमशः 48.2, 46.4, 44.6, 43.0 एवं 41.6 तक लायेगी”।

(संदर्भ: कंडिका 1.1.1 एवं 1.3, पृष्ठ 2.5)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2009-10		2010-11		2009-10		गैर योजना	योजना	योग	
		खण्ड: अ राजस्व							
35526.83	I	राजस्व प्राप्तियाँ	44532.32	32584.17	I	राजस्व व्यय	27316.41	10899.51	38215.92
8089.67		कर राजस्व	9869.85	12202.35		सामान्य सेवाएँ	15109.01	177.96	15286.97
1670.42		करेतर राजस्व	985.53	13186.41		समाजिक सेवाएँ	7310.33	7779.09	15089.42
18202.58		संघीय करों का राज्यांश	23978.38	7416.22		शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति	4732.26	3368.32	8100.58
2256.20		गैर योजना अनुदान	1924.78	1387.82		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1283.54	218.65	1502.19
3720.97		राज्य योजना हेतु अनुदान	5456.95	1438.24		जलापूर्ति स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	458.85	1238.68	1697.53
1586.99		केन्द्रीय योजना एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	2316.83	52.01		सूचना एवं प्रसारण	49.58	2.41	51.99
				407.53		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछ़े वर्गों का कल्याण	79.33	458.86	538.19
				69.89		श्रम एवं श्रम कल्याण	63.47	15.43	78.90
				2260.21		समाज कल्याण एवं पोषण	609.26	2293.36	2902.62
				154.49		अन्य	34.04	183.38	217.42
				7087.95		आर्थिक सेवाएँ	4893.82	2942.46	7836.28
				1503.55		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	780.66	1237.06	2017.72
				2680.44		ग्रामीण विकास	649.08	1340.36	1989.44
				897.31		विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम			
						सिंचाइ एवं	1226.62	84.40	1311.02

## परिशिष्ट 1.4

प्रारंभिक		2010-11		2009-10		संवितरण		
						बेर वोजना	योजना	योग
						बांक नियंत्रण		
				867.61		उमी	1214.24	1.59
				265.39		उद्योग एवं खालिज	101.04	224.82
				690.04		पारेंटल	634.49	-
				-		विद्यावाचिकी पर्याप्ति एवं पर्याप्ति		634.49
				183.61		सामाजिक सेवाएँ	287.68	54.23
				107.47		साहाय्या अनुदान असाधारण	3.25	-
				32584.17		कृषि		38215.92
II	खप्त व मौसूल ले जाए गए राजस्व घटे			2942.66	II	खप्त व मौसूल ले जाए गए राजस्व अधिशेष		6316.40
35526.83	कृषि	44532.32	35526.83		कृषि			44532.32
III	जह व अन्य स्थानीय अधिकार तथा ठेकड शेव निवेद करते करते ड्युट आर्टिस्ट ठेकड शेव		2291.13		III	आर्टीच रिवर्व डेक दे प्रारंभिक ओमर इकाई		
3557.09					IV	पूर्णिमत परिवर्य	45.69	9150.25
				7332.09	IV	सामाजिक सेवाएँ	346.18	395.71
				274.48		सामाजिक सेवाएँ	49.53	
				1122.55		सामाजिक सेवाएँ	-3.84	1075.92
				333.96		विद्या, सेवा, कला एवं संस्कृति	-	143.75
				120.52		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-7.91	172.89
				464.71		जलधारी, स्वच्छता, आवास एवं वाग विकास	4.07	625.67
				3.00		सुखना एवं प्रसादण	-	1.05
				26.18		अनुसूचित जातियाँ,	-	29.79
								29.79

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का  
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य का वित्त)

# परिशिष्ट 1.4

प्राप्तियाँ				संवितरण				
2009-10		2010-11		2009-10		2010-11		
						ग्रेर योजना	योजना	योग
						अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
				153.59		समाज कल्याण एवं पोषाहार	-	88.46 88.46
				20.59		अन्य	-	14.31 14.31
				5935.06		आर्थिक सेवाएँ	-	7728.15 7728.15
				1.00		कृषि एवं संबंध कार्यकालप	-	16.99 16.99
				852.65		ग्रामीण विकास	-	1203.82 1203.82
						विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम		
				1348.62		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	\$	1366.98 1366.98
				376		उर्जा		1007.23 1007.23
				268.58		उद्योग एवं स्रनिज		8.81 8.81
				3058		परिवहन		4071.58 4071.58
				24.04		सामाज्य आर्थिक सेवाएँ		52.74 52.74
13.20	V	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली		11.86	896.79	V	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	268.05 834.58 1102.63
-		विद्युत परियोजनाओं से			626.25		उर्जा परियोजनाओं हेतु	44.07 834.42 878.49
7.12		सरकारी सेवकों से	10.95		7.12		सरकारी सेवकों को	14.86
6.08		अन्य से	0.91		263.42		अन्य से	209.12 0.16 209.28
2942.66	VI	राजस्व आधिकाय नीचे ले जाए गए		6316.40		VI	राजस्व घाटा नीचे ले जाए गए	
6134.39	VII	लोक ऋण प्राप्तियाँ		6032.42	1982.99	VII	लोक ऋण का पुर्णभुगतान	
		बाहरी ऋण					बाहरी ऋण	
5370.07		अर्योपाय अग्रिमों एवं ओमरझाप्ट के अलावे आंतरिक ऋण	5250.89		1169.32		अर्योपाय अग्रिमों एवं ओमरझाप्ट के अलावे आंतरिक ऋण	
-		अर्योपाय अग्रिमों के					अर्योपाय अग्रिमों के	

\$ केवल 44,000/-

## परिशिष्ट 1.4

प्राप्तियाँ		संविलेप			
		2009-10		2010-11	
		ग्रंथालय	ग्रंथालय	ग्रंथालय	ग्रंथालय
		अंतर्गत विवल लेन-देन			अंतर्गत विवल लेन-देन
		आनंद द्वारा के अंतर्गत विवल लेन-देन			
764.32		भारत सरकार से अपने पूर्ण अधिकार	781.53	813.67	भारत सरकार को अपने पूर्ण अधिकार का पुर्णमुख्यालय
0.00	VIII	आकाशिकका निधि को विनियोजन		1150.00	आकाशिकका निधि विनियोजन
-	IX	आकाशिकका निधि के राशि का स्थानांतरण	-	-	आकाशिकका निधि से अव्य
15303.39	X	लोक लेखा प्रतिवार्षी	17321.25	15447.74	लोक लेखा संविलेप
707.19		लघु बचत एवं भविष्य निविद्या	838.84	970.05	लघु बचत एवं भविष्य निविद्या
565.67		आर्थिक निधि	243.72	467.36	आर्थिक निधि
296.81		उत्तर एवं विविध	334.43	197.28	उत्तर एवं विविध
7422.76		प्रेषण	9279.87	7367.94	प्रेषण
6310.96		जगा एवं अधिकार	6624.39	6445.11	जगा एवं अधिकार
	XI	महात्मा गांधी के शोषण		2291.13	अंतिम दोकड़ शेष
				-	कौशलगार में टोकड़ एवं स्थानांतरण प्रेषण
				(+/-2536.45)	रिजर्व बैंक के पास जगा
				200.44	विभागीय टोकड़ शेष द्वारा अधिकार आदि सहित
				4627.14	टोकड़ शेष विवेश
27950.74		कुल	33123.06	27950.74	कुल
					33123.06

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का  
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य का वित्त)

(संदर्भ: कंडिका 1.2.2, पृष्ठ 5)

कार्यक्रम/योजना	राज्य में क्रियान्वयन करने वाले एजेन्सियाँ	(₹ करोड़ में)	
		2009-10 केन्द्रांश	2010-11 केन्द्रांश
सर्व शिक्षा अभियान	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्	1217.39	1958.66
प्राथमिक स्तर पर छात्राओं की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम		0.00	15.96
कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय		0.00	73.28
कुल		<b>1217.39</b>	<b>2047.90</b>
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	जिला ग्रामीण विकास अभियान	1032.80	2089.26
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना		131.91	141.57
इंदिरा आवास योजना		2009.19	2255.58
समर्वकित जलाच्छादन प्रबंधन कार्यक्रम		-	0.74
जिला ग्रामीण विकास अभियान (प्रशासन)		-	31.77
हरियाली		5.71	0.00
कुल		<b>3179.61</b>	<b>4518.92</b>
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्वास्थ्य समिति	420.84	19.71
कुल सफाई अभियान		90.47	-
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	पंजीकृत समितियाँ	-	3458.69
सांसदों द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	जिला मजिस्ट्रेट	101.50	111.53
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान एवं तकनीकी कार्यक्रम	पंजीकृत समितियाँ (स्वयंसेवी संस्थाएँ)	0.85	0.63
ऑफ ग्रिड डी.आर.पी.एस.	बिहार पुनर्जीवीकरण उर्जा विकास अभियान	0.99	2.83
कला और संस्कृति का प्रोन्हति और संवर्द्धन	पंजीकृत समितियाँ (स्वयंसेवी संस्थाएँ)	1.07	0.84
हस्तशिल्प	पंजीकृत समितियाँ (स्वयंसेवी संस्थाएँ)	1.82	0.00
स्मारिका तथा अन्य	नव नालांदा महाविहार	2.80	2.20
महिला समाख्या	बिहार महिला समाख्या समिति	5.44	5.41
राष्ट्रीय फार्मसियूटिकल तथा शोध संस्थान	राष्ट्रीय फार्मसियूटिकल शिक्षा तथा शोध संस्थान	7.15	1.00
व्यास्क शिक्षा एवं दक्षता विकास के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं (एस.आर.सी.) को सहयोग	जन शिक्षण संस्थान	7.86	4.63
स्वैच्छिक अभियानों को सहायक अनुदान सहित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	बाल श्रम परियोजना समिति	16.61	7.31
असांगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा)	बिहार राज्य श्रम कल्याण समितियाँ	31.98	55.86
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान	राज्य कृषि प्रबंधन तथा विस्तार प्रशिक्षण	43.32	51.65
नये आई.आई.टी. की स्थापना	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना	52.50	20.00
राज्य बजट से बाहर भारत सरकार की कुल निधि		<b>5182.20</b>	<b>10309.11</b>

	2006-2007	2007-2008	2008-09	2009-10	(₹ करोड़ में) 2010-11
खण्ड अ प्राप्तियाँ					
I. राजस्व प्राप्तियाँ	23083	28210	32981	35527	44532
(i) कर राजस्व	4033(17)	5086(18)	6173(19)	8090(23)	9870(22)
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	2081(52)	2535(50)	3016(49)	3839(48)	4557(46)
राज्य उत्पाद	382(9)	525(10)	679(11)	1082(13)	1525(16)
बाह्य पर कर	181(4)	273(5)	298(5)	345(4)	456(5)
मुद्रांक एवं विवेचन शुल्क	455(11)	654(13)	716(12)	998(12)	1099(11)
अंतर्राज्य	75(2)	82(2)	102(1)	124(2)	139(1)
माल एवं यात्री कर	783(19)	938(18)	1279(21)	1613(20)	2006(20)
जबक कर	76(2)	79(2)	83(1)	89(1)	90(1)
(ii) गैर राजस्व कर	511(2)	526(2)	1153(3)	1670(5)	985(2)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	13292(58)	16766(59)	17693(54)	18203(51)	23978(54)
(iv) भारत सरकार द्वारा सहायता/अनुदान	5247(23)	5832(21)	7962(24)	7564(21)	9699(22)
2. वित्त औंप्रौद्योगिक प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. ऋण एवं अधिन की वरुत्ती	7	26	11	13	12
4. कुल राजस्व प्राप्तियाँ	23090	28236	32992	35540	44544
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	2358	1612	5928	6134	6032
आर्तिक (अवैष्याय, अधिन एवं ओप्रौद्योगिक को छोड़कर)	2355	1144	5778	5370	5251
आर्तिक अवैष्याय अधिन एवं ओप्रौद्योगिक के तहत विवर लेब-टेल	2	-	-	-	-
आर्त सरकार द्वारा एवं अधिन	3	468	150	764	781
6. संचित लिखि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	25448	29848	38920	41674	50576
7. आवासमयका लिखि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	9224	12837	16941	15303	17321
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	34672	42685	55861	56978	67897
उप-व-व्यवसाय/सार्वतथा					
I. राजस्व लेख	20585	23563	28512	32584	38216
योजना	4065(20)	4804(20)	7280(26)	8439(26)	10900(29)
गैर-योजना	16520(80)	18759(80)	21232(74)	24145(74)	27316(71)
सामाजिक सेवाएँ (व्याज भुगतान सहित)	8643(42)	9252(39)	10530(37)	12202(37)	15287(40)
सामाजिक सेवाएँ	7917(38)	9868(42)	12252(43)	13186(40)	15090(39)
आर्तिक सेवाएँ	4021(20)	4438(19)	5726(20)	7088(22)	7836(21)
सहायता/अनुदान एवं अंशदान	4	5	4	108(1)	3
II. पैंचीय व्यव	5211	6104	6436	7332	9196
योजना	5132(98)	5991(98)	6336(98)	7268(99)	9150(99)
गैर-योजना	79(2)	113(2)	100(2)	64(1)	46(1)
सामाजिक सेवाएँ	155(3)	223(4)	206(3)	274(4)	396(4)
सामाजिक सेवाएँ	596(11)	799(13)	640(10)	1123(15)	1072(12)
आर्तिक सेवाएँ	4460(86)	5082(83)	5590(87)	5935(81)	7728(84)
I2. ऋण एवं अधिनों का संचितरण	315	272	551	897	1103
I3. कुल (I0+I1+I2)	26111	29939	35499	40813	48515

# परिशिष्ट 1.6

	2006-2007	2007-2008	2008-09	2009-10	2010-11
<b>14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान</b>	1025	1632	1682	1983	2190
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय, अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	708	1203	1254	1169	1725
अर्थोपाय, अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	317	429	428	814	465
<b>15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन</b>	-	-	-	-	-
<b>16. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)</b>	27136	31571	37181	42796	50705
<b>17. आकस्मिकता निधि संवितरण</b>	-	-	-	-	-
<b>18. लोक लेखा संवितरण</b>	8016	10334	17311	15448	16749
<b>19. राज्य सरकार द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)</b>	35152	41905	54492	58428	67454
<b>खण्ड-स-घाटा</b>					
<b>20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिकर्त्य +) (1-10)</b>	2498	4647	4469	2943	6316
<b>21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिकर्त्य (+) (4-13)</b>	(-)3021	(-)1703	(-)2507	(-)5273	-3971
<b>22. प्रारंभिक घाटा/ प्रारंभिक आधिकर्त्य (21+23)</b>	(+)395	(+)2004	(+)1246	(-)1588	+348
<b>खण्ड-द-अन्य आंकड़े</b>					
<b>23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)</b>	3416	3707	3753	3685	4319
<b>24. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता</b>	1017	1133	4423	4456	4622
<b>25. उपभोग किये गये अर्थोपाय अग्रिम/ ओभरड्राफ्ट (दिन)</b>	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उपयोग किये गये अर्थोपाय अग्रिम/ ओभरड्राफ्ट (दिन)					
उपयोग किये गये ओभरड्राफ्ट (दिन)					
<b>26. अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट पर ब्याज</b>	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
<b>27. सकल राज्य घटेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)<sup>a</sup></b>	103317	118687	150709	175245	213073
<b>28. लंबित राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)</b>	49089	50989	54977	58690	62858
<b>29. लंबित प्रत्याभूति (वर्षान्त)</b>	608	516	704	859	588
<b>30. गारंटी दी गई अधिकतम राशि (वर्षान्त)</b>	1538	1538	1538	1548	1549
<b>31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या</b>	6	9	78	288	350
<b>32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवलम्ब औंजी</b>	2393	2793	1016	941	1005
<b>खण्ड-ई-राजकोषीय स्थिति का सूचक</b>					
<b>I संसाधन संग्रहण</b>					
निजी राजस्व कर/जी.एस.डी.पी.	0.039	0.043	0.041	0.046	0.046
निजी करेतर राजस्व/जी.एस.डी.पी.	0.005	0.004	0.007	0.009	0.004
केन्द्रीय स्थानांतरण/जी.एस.डी.पी.	0.128	0.141	0.113	0.103	0.112
<b>II व्यय प्रवंधन</b>					
कुल व्यय/जीएसडीपी	0.253	0.252	0.235	0.233	0.227
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तिवाँ	1.131	1.061	1.076	1.148	1.089
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.788	0.787	0.803	0.798	0.787
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.326	0.356	0.363	0.350	0.333
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.325	0.318	0.318	0.319	0.343
पौंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.199	0.203	0.181	0.179	0.189

## परिशिष्ट 1.6

	2006-2007	2007-2008	2008-09	2009-10	2010-11
सामाजिक एवं आधिक लेयाओं पर दृ़ঁशीगत व्यय/कुल व्यय	0.193	0.196	0.173	0.173	0.181
<b>III राजकोषीय अंकेतुलन का प्रबंधन</b>					
राजस्व घाटा (आधिकारिक)/जी.एस.डी.पी.	0.024	0.039	0.029	0.017	0.029
राजस्वीय घाटा(जी.एस.डी.पी.)	-0.029	-0.014	-0.016	-0.030	-0.018
प्राधानिक घाटा (आधिकारिक)/जी.एस.डी.पी.	0.038	0.017	0.008	-0.009	0.016
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	0.827	-2.728	-1.782	-0.558	-1.590
आरोग्यक राजस्व शेष (जी.एस.डी.पी.)	-0.053	-0.053	-0.046	-0.047	-0.048
<b>IV राजकोषीय दायित्व/जी.एस.डी.पी.</b>					
राजकोषीय दायित्व/जी.एस.डी.पी.	0.475	0.429	0.365	0.335	0.295
राजकोषीय दायित्व/आट.आट.	2.126	1.807	1.667	1.652	1.411
आरोग्यक घाटा चवा मात्रा विस्तार	0.001	-0.005	0.001	0.012	0.001
अण विमोचन (मूलधन+व्याज)/कुल अण प्राप्तिकर्त्ता	1.345	3.216	0.064	0.736	0.923
<b>V अन्य राजकोषीय स्थिति सुधारक</b>					
निवेश पर प्रतिपक्ष	0.00	0.38	0.26	0.24	0.28
चालु राजस्व से शेष	2996	5124	3953	6213	9602
वित्तीय परिसंपत्तियां/दायित्व	0.860	0.960	0.960	1.09	1.18

लेखक में दिये गये आंकड़े प्रत्येक उपभोक्ता के कुल प्रतिशतता दिखाते हैं।

④ सकल द्वारा अपनायी गई सकल राजस्व अनुसूत्य उपयोग के आंकड़े

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का  
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य का वित्त)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2011 को बकाया राशि	पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	आभियुक्तयों
1.	बिकी, व्यापार आदि पर कर/वैट	901.96	422.42	₹ 901.96 करोड़ में से ₹ 315.71 करोड़ की मांग को भू-राजस्व की बकाया वसूली के लिए प्रमाणित किये गए थे। ₹ 138.84 करोड़ की वसूली को व्यायालय द्वारा रोक लगाया गया था। ₹ 1.27 करोड़ की राशि को आवंतन की समीक्षा/संशोधन के लिए रोका गया और ₹ 503.53 करोड़ अन्य परिस्थितियों के लिए लंबित थे।
2.	प्रवेश कर	27.37	1.47	₹ 27.37 करोड़ में से, ₹ 0.50 करोड़ की मांग को भू-राजस्व की बकाया वसूली के लिए प्रमाणित किये गये थे। ₹ 3.80 करोड़ की वसूली को व्यायालय द्वारा रोक लगाया गया एवं ₹ 23.07 करोड़ अन्य परिस्थितियों के लिए लंबित थे।
3.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	2.32	1.76	₹ 2.32 करोड़ में से, ₹ 1.49 करोड़ की मांग को भू-राजस्व की बकाया वसूली के लिए प्रमाणित किये गये थे। ₹ 0.77 करोड़ की वसूली को व्यायालय द्वारा रोक लगाया गया एवं ₹ 0.06 करोड़ अन्य परिस्थितियों के लिए लंबित थे।
4.	मनोरंजन कर	9.96	2.44	₹ 9.96 करोड़ में से, ₹ 9.06 करोड़ की मांग को भू-राजस्व की बकाया वसूली के लिए प्रमाणित किए गये थे। ₹ 0.09 करोड़ की वसूली को व्यायालय द्वारा रोक लगाया गया एवं ₹ 0.81 करोड़ अन्य परिस्थितियों के लिए लंबित थे।
6.	जल दर	229.03	158.64	संग्रहण के लिए लंबित बकायों की परिस्थितियों की मांग (जून एवं सितंबर 2011) किए जाने के बावजूद सूचित नहीं किए गए। (नवम्बर 2011)
7.	ईख	27.60	12.26	₹ 27.60 करोड़ में से, ₹ 3.84 करोड़ की मांग को भू-राजस्व की बकाया वसूली के लिए प्रमाणित किये गए थे। ₹ 10.89 करोड़ की वसूली को सरकार द्वारा रोक लगाया गया एवं ₹ 12.87 करोड़ अन्य परिस्थितियों के लिए लंबित थे।
कुल		1198.24	598.99 <sup>3</sup>	

<sup>3</sup> वाहनों पर कर, भू-राजस्व, राज्य उत्पाद एवं खान एवं खनिज को छोड़कर जिसका संबंधित विभागों द्वारा विवरण नहीं दिया गया।

**परिशिष्ट**  
**1.8**

31 मार्च 2011 को अपूर्ण परियोजनाओं  
 (लागत वृद्धि) की विवरणी

(संदर्भ: कठिना 1.6.1, पृष्ठ 20)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	वित्त लेने के पारीशाल X का क्रम संख्या	विभाग	विनाण कार्य/परियोजना का नाम	अनुमानित लागत तिथि	आरोपी व्यवहार	लागत वृद्धि	कार्य की शीर्षिक प्रणाली
1	150	घब विभाग	मुजफ्फरपुर के खिलहर मीनापुर साइक के 32 किमी. पर उच्चस्तरीय कार्ट पुल	4.63 02 अप्रैल 08	4.70	0.07	90
2	155	घब विभाग	चौसा-चूल्ही-पावडी सड़क, बक्सर	5.07 14 जून 08	8.23	3.16	80
3	16	लोक रथारब्द अधिकारीय विभाग	श्रीगंगार, नधेनुरा में जगर गामीण जलापूती योजना	2.44 04 जूनमध्य 06	2.45	0.01	99
4	25	लोक रथारब्द अधिकारीय विभाग	नालंदा गिल के अंधाना में त्वरित आगीण जलापूती कार्यक्रम के अंतर्गत आगीण जलापूती योजना का पुरानीजन	11.15 11 जूनमध्य 06	11.78	0.63	99
5	156	लोक रथारब्द अधिकारीय विभाग	वेनारी आगीण जलापूती योजना, सासाराजन	2.26 14 जून 08	2.45	0.19	82
6	157	लोक रथारब्द अधिकारीय विभाग	छपरा में त्वरित आगीण जलापूती कार्यक्रम के अंतर्गत छपरा जलापूती योजना	4.61 14 जून 08	4.80	0.19	85
7	170	लोक रथारब्द अधिकारीय विभाग	नवादा में प्राचीकरण/स्थानिकालय में 120 मी.मी. x 40 मी.मी. x 61 मीटर/ 125 मी.मी. x 40 मी.मी. x 46 मीटर हस्तानालित जलमूफ/ 125मी.मी. x 38 मीटर गेवेल ऐक्स बलवृप / 125 मी.मी./115 मी.मी. x 50 मी.मी. गहरा हस्तानालित बलवृप का विनाण	5.64 -	5.73	0.09	95
8	182	लोक रथारब्द अधिकारीय विभाग	लोक रथारब्द प्रभाडल पट्टा परियोजना (एस.एल.ए. कोटा) के अंतर्गत 125 मी.मी. x 40 मी.मी. 61 मीटर हिरिया आर्क-III गहरा 412 हस्तानालित जलमूफ का विनाण	4.06 11 जूलाई 08	5.62	1.56	75
9	186	लोक रथारब्द अधिकारीय विभाग	नवादा में 53 बलकूपों का विनाण	10.11 19 अगस्त 06	11.90	1.79	74
10	61	जल संसाधन विभाग	बदनामगढ़ तर्बंध, झगडिया के शीर्षात खेल पर किलोमीटर 29.78 से 30.68 का कटाव विशेषक कार्य	4.14 05 फरवरी 07	4.26	0.12	96
11	66	जल संसाधन विभाग	हारटोर बजार्यारिया, पहाड़वक घिंगा, मुजफ्फरपुर में कटाव विशेषक कार्य	1.84 09 अक्टूबर 07	2.41	0.57	95

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का  
 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य का वित्त)

## परिशिष्ट 1.8

---

12	69	जल संसाधन विभाग	खण्डिया जिला के के.वी. तटबंध पर 43.50 से 49.00 कि.मी. तक कटाव निरोधक कार्य	<u>4.51</u> 14 दिसम्बर 07	5.02	0.51	97
13	73	जल संसाधन विभाग	किशनगंज जिला के पहाड़गाँव में कटाव निरोधक कार्य	<u>12.49</u> -	13.73	1.24	95
14	83	जल संसाधन विभाग	तजपुर, मुंगेर तटबंध पर कटाव निरोधक कार्य	<u>4.00</u> 05 अक्टूबर 08	4.34	0.34	79
15	90	जल संसाधन विभाग	पटना जिला के बस्तियारपुर के खजुदार ग्राम में कटाव निरोधक कार्य	<u>0.49</u> 04 फरवरी 09	0.52	0.03	95
16	311	जल संसाधन विभाग	ओरंगाबाद के छोटी मझौली में शृंखला 0 से 1.90 में भू-कार्य एवं शृंखला 5 .00, 18.00, 45.00, 84.00, 120.00, 139.00, 154.00, 179.00 पर कॉस डेवेज का निर्माण	<u>1.66</u> -	5.79	4.13	30
17	328	जल संसाधन विभाग	बोश्वरस्थान कहलगाँव भागलपुर में गंगा पम्प नहर योजना कार्य	<u>6.98</u> 08 फरवरी 10	7.49	0.51	-
		कुल		<b>86.08</b>	<b>101.22</b>	<b>15.14</b>	

(₹ करोड़ में)

31.03.2010 को	देखता	31.03.2011 को
<b>35494.01</b>	आंतरिक ऋण -	<b>39020.39</b>
15871.95	ब्याज वाले बाजार ऋण	17579.57
0.28	निवा ब्याज वाले बाजार ऋण	0.44
22.08	भारतीय औजान बीमा निगम से ऋण	21.97
19599.70	आन्ध्र संस्थाओं से ऋण	21418.41
<b>7948.45</b>	फेन्ड सरकार से प्राप्त ऋण एवं अधिग्र	<b>8264.48</b>
3.91	1984-85 से पूर्ण ऋण	3.91
70.06	गैर-योजना ऋण	67.09
7804.99	राज्य योजनाएँ ऋण	8126.28
6.73	कर्जावाले योजना के लिए ऋण	6.13
19.80	कर्जावाले प्रायोजित योजनाओं हेतु ऋण	18.11
42.96	अवधिकारी अधिग्र योजना माद	42.96
<b>350.00</b>	आकर्षिकता निधि	<b>350.00</b>
<b>9310.72</b>	लघु व्यवस, भविष्य निधि आदि	<b>9563.43</b>
<b>4753.62</b>	जमा	<b>4802.90</b>
<b>1463.21</b>	आरोहित निधि	<b>1646.92</b>
<b>5108.34*</b>	सरकारी खाते में आधिक्य	<b>11424.74</b>
2942.66	(i) घटावें: चालू वर्ष का राजत्व आधिक्य	6316.40
2165.68	(ii) वर्ष के प्रारंभ में संचित आधिक्य	5108.34
<b>64428.35</b>	परिसम्पत्तियाँ	<b>75072.86</b>
<b>44251.93</b>	स्थानी परिसम्पत्तियों पर सकल दूँजीगत परिव्यय	<b>53447.86</b>
856.18	कर्जावाले, निगमों आदि के शेष्यों में निवेश	905.24
43395.75	अन्य दूँजीगत परिव्यय	52542.62
<b>15551.42</b>	ऋण एवं अधिग्र	<b>16642.19</b>
12916.23	उच्च परियोजना हेतु ऋण	13794.72
2573.55	आन्ध्र विकास ऋण	2781.92
61.64	सरकारी शेषकों को ऋण तथा विविध ऋण	65.55
<b>1224.33</b>	प्रेषण	<b>1144.38</b>
<b>187.13</b>	अधिग्र	<b>185.49</b>
<b>922.41</b>	उच्च और विविध शेष	<b>917.50</b>
<b>2291.13</b>	टोकड़	<b>2735.44</b>
0.00	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	0.00
-2536.45*	टिजर्व लैक में जमा	-426.37
200.00	विभागीय रोकड़ शेष	254.61
0.44	स्थानी अधिग्र	172.31
4627.14	उद्दिष्ट निधियों के साथ टोकड़ शेष निवेश	2734.89
<b>64428.35</b>		<b>75072.86</b>

\* आंकड़ों का संकलन के कारण आंकड़े परिवर्तित

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1	कृषि विभाग	1676.27	1348.20	328.07	19.57
2	2	पशु एवं मतस्थ संसाधन विभाग	407.47	241.75	165.72	40.67
3	3	भवन निर्माण विभाग	445.38	333.57	111.81	25.10
4	4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	102.48	73.42	29.06	28.36
5	6	निर्वाचन विभाग	256.80	194.08	62.72	24.42
6	8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	125.37	77.21	48.16	38.41
7	9	सहकारिता विभाग	660.80	449.68	211.12	31.95
8	10	उर्जा विभाग	3626.07	3124.38	501.69	13.84
9	11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	136.81	124.14	12.67	9.26
10	12	वित्त विभाग	1607.00	376.93	1230.07	76.54
11	13	ब्याज संदाय	4513.64	4319.16	194.48	4.31
12	14	ऋण की वापसी अदायगी	2277.96	2190.03	87.93	3.86
13	16	पंचायती राज विभाग	2065.84	1297.80	768.04	37.18
14	17	वाणिज्य कर विभाग	90.68	56.46	34.22	37.74
15	18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	228.09	162.61	65.48	28.71
16	19	बन एवं पर्यावरण विभाग	118.73	106.83	11.90	10.02
17	20	स्वास्थ्य विभाग	2207.79	1706.24	501.55	22.72
18	21	मानव संसाधन विकास विभाग	9954.95	8703.60	1251.35	12.57
19	22	गृह विभाग	3464.84	3015.95	448.89	12.96
20	23	उद्योग विभाग	743.27	300.75	442.52	59.54
21	25	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	208.48	58.23	150.25	72.07
22	26	श्रम संसाधन विभाग	197.92	143.33	54.59	27.58
23	27	विधि विभाग	494.63	364.22	130.41	26.37
24	30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	465.86	280.09	185.77	39.88
25	33	सामान्य प्रशासन विभाग	350.00	284.46	65.54	18.73
26	35	योजना एवं विकास विभाग	784.85	412.11	372.74	47.49
27	36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1260.62	937.02	323.60	25.67
28	37	ग्रामीण कार्य विभाग	1772.21	1592.70	179.51	10.13
29	38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	112.00	88.39	23.61	21.08
30	39	आपदा प्रबंधन विभाग	1993.65	636.66	1356.99	68.07
31	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	619.06	455.13	163.93	26.48
32	41	पथ निर्माण विभाग	4799.44	4467.83	331.61	6.91
33	42	ग्रामीण विकास विभाग	1426.70	1271.14	155.56	10.90

## परिशिष्ट 2.1

क्र० सं ०	अनुदानव रस्ता	अनुदान/विविधोजन का योग	कुल अनुदान/विविधोजन	वार्ताविक व्यय	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34	43	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	189.37	144.44	44.93	23.73
35	44	अनुशूलित जाति एवं अनुशूलित जनजाति कल्याण विभाग	502.97	446.54	56.43	11.22
36	45	गवान उद्योग विभाग	151.62	81.06	70.56	46.54
37	47	परिवहन विभाग	163.05	151.89	11.16	6.84
38	48	नगर विकास एवं आवास विभाग	2150.46	611.56	1538.90	71.56
39	49	जल संसाधन विभाग	4010.23	2056.56	1953.67	48.72
40	50	लघु जल संसाधन विभाग	924.78	635.23	289.55	31.31
41	51	समाज कल्याण विभाग	2832.04	2082.53	750.51	26.49
<b>कुल</b>			<b>60121.18</b>	<b>45403.91</b>	<b>14717.27</b>	

(स्रोत : राज्य का विभिन्नोजन लेखा, 2010-11)

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का  
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य का वित्त)

# परिशिष्ट

## 2.2 | वैसे अनुदानों की सूची जहाँ वर्ष 2006–11 के दौरान सतत् बचत हुए

(संदर्भ: कंडिका 2.3.2, पृष्ठ 37)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	बचत की राशि				
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
<b>राजस्व-दत्तमत</b>						
1	2-पशुपालन एवं मतस्य संसाधन विभाग	20.10 (12.27)	26.18 (14.94)	64.55 (18.10)	62.53 (18.99)	165.72 (40.67)*
2	12-वित्त विभाग	21.04 (22.40)	94.54 (54.74)	35.16 (12.83)	39.09 (10.91)	55.64 (13.46)
3	20-स्वास्थ्य विभाग	355.35 (28.24)	292.10 (22.03)	395.61 (24.92)	278.83 (16.79)	479.42 (23.92)
4	27-विधि विभाग	29.54 (16.49)	35.32 (16.68)	70.45 (26.76)	31.32 <b>(10.72)</b>	130.41 (26.37)
5	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	36.53 (12.57)	38.58 (11.26)	73.16 (19.07)	120.13 (17.17)	128.43 (23.06)
6	41-पथ निर्माण विभाग	37.82 (10.96)	123.15 (29.98)	114.75 (27.17)	274.30 (38.78)	198.29 (33.58)
7	50-लघु जल संसाधन विभाग	289.99 (68.09)	33.72 (17.33)	70.75 (21.92)	93.81 (28.18)	108.29 (15.78)
<b>कुल राजस्व दत्तमत</b>		<b>790.37</b>	<b>643.59</b>	<b>824.43</b>	<b>900.01</b>	<b>1266.20</b>
<b>पूँजीगत-दत्तमत</b>						
8	3-भवन निर्माण विभाग	75.94 (59.98)	39.03 (57.17)	53.82 (58.81)	26.79 (29.86)	66.52 (36.16)
9	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	318.63 (56.21)	389.41 (53.87)	495.89 (73.13)	462.89 (50.68)	268.62 (29.99)
10	49-जल संसाधन विभाग	463.82 (44.29)	593.42 (42.19)	1359.51 (55.29)	1415.28 (52.57)	1722.91 (56.81)
11	50-लघु जल संसाधन विभाग	60.72 (55.68)	79.06 (51.45)	60.63 (59.44)	95.11 (57.02)	181.26 <b>(75.96)</b>
<b>कुल पूँजीगत-दत्तमत</b>		<b>919.11</b>	<b>1100.92</b>	<b>1969.85</b>	<b>2000.07</b>	<b>2239.31</b>

(स्रोत: संबंधित वर्ष के राज्य विनियोजन लेखे )

\* कोष्ठक में दिखाये गए आंकड़े कुल प्रावधान की प्रतिशतता दर्शाते हैं ।

## परिशिष्ट 2.3

विगत वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय  
जिन्हें विनियमित किया जाना आवश्यक है  
(संदर्भ: कांडिका 2.3.3, पृष्ठ 37)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विविधोजन की राशि	अनुदान/विविधोजन की संख्या	अधिकाई व्यय की राशि	लोक लेखा राशि जो विवादी की स्थिति
1977-78	2	5.24	0.40	अधिकाई
1978-79	2	17, 27	16.17	आधिकाई
1979-80	1	17	33.46	अधिकाई
1980-81	2	12, 17	26.03	अधिकाई
1981-82	5	3, 12, 13, 17, 24	38.04	अधिकाई
1982-83	2	12, 22	4.79	अधिकाई
1983-84	1	12	9.45	आधिकाई
1984-85	2	3.14	2.62	अधिकाई
1985-86	2	10, 13	14.83	अधिकाई
1986-87	1	13	65.62	अधिकाई
1987-88	5	9, 19, 25, 38, 48	242.45	अधिकाई
1988-89	3	9, 25, 38	85.15	अधिकाई
1989-90	3	25, 27, 38	99.40	अधिकाई
1990-91	2	37, 38	47.55	अधिकाई
1991-92	2	6, 38	71.24	आधिकाई
1992-93	2	25, 38	93.25	अधिकाई
1993-94	2	25, 37	157.68	अधिकाई
1994-95	1	37	170.61	अधिकाई
1995-96	2	25, 37	213.22	अधिकाई
1996-97	2	23, 37	21.16	अधिकाई
1997-98	1	7	₹ 0.01	₹ 0.01 करोड़ लोक लेखा राशि जो विवादी की जा चुका है परंतु उनका जरूर अधिसूचना प्राप्तिकर है।
1998-99	1	30	0.33	₹ 0.33 करोड़ लोक लेखा राशि जो विवादी की जा चुका है परंतु उनका जरूर अधिसूचना प्राप्तिकर है।
1999-00	4	10, 13, 14, 50	196.22	विवादीकार्यक्रम देते लोक लेखा राशि जो विवादी की जा चुका है परंतु उनका जरूर अधिसूचना प्राप्तिकर है।
	1	40	0.01	अधिकाई
2000-01	4	5, 13, 15, 32	712.34	विवादीकार्यक्रम देते लोक लेखा राशि जो विवादी की जा चुका है परंतु उनका जरूर अधिसूचना प्राप्तिकर है।
2001-02	1	15	491.24	विवादीकार्यक्रम देते लोक लेखा राशि जो विवादी की जा चुका है परंतु उनका जरूर अधिसूचना प्राप्तिकर है।
2002-03	2	15, 47	10.15	विवादीकार्यक्रम देते लोक लेखा राशि जो विवादी की जा चुका है परंतु उनका जरूर अधिसूचना प्राप्तिकर है।
2003-04	4	10, 14, 15, 32	3701.11	विवादीकार्यक्रम देते लोक लेखा राशि जो विवादी की जा चुका है परंतु उनका जरूर अधिसूचना प्राप्तिकर है।
	3	11, 30, 50	81.23	अधिकाई
2004-05	4	19, 20, 21, 46	5.68	अधिकाई
2005-06	4	10, 39, 40, 46	349.56	अधिकाई
2007-08	2	17, 42	1.93	अधिकाई
2008-09	3	15, 17, 28	54.63	अधिकाई
2009-10	1	14	98.38	अधिकाई
<b>कुल</b>			<b>7115.94</b>	

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का  
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य का वित्त)

क्रम सं ०	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वार्ताविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	(₹ करोड़ में) अनुपूरक प्रावधान
<b>अ राजस्व (भारित)</b>					
1	13-ब्याज संदाय	4513.10	4319.16	193.94	0.53
2	28-बिहार का उच्च व्यायालय	65.84	59.49	6.35	2.33
	<b>कुल भारित</b>	<b>4578.94</b>	<b>4378.65</b>	<b>200.29</b>	<b>2.86</b>
<b>अ राजस्व (दत्तमत)</b>					
1	02-पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग	354.66	241.75	112.91	52.81
2	03-भवन निर्माण विभाग	253.62	216.15	37.47	7.81
3	04-मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग	86.14	72.60	13.54	7.30
4	07-निगरानी विभाग	18.85	18.74	0.11	1.50
5	08-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	59.99	47.07	12.92	2.38
6	12-वित्त विभाग	412.62	357.84	54.78	0.86
7	17-वाणिज्य कर विभाग	56.73	56.46	0.27	29.87
8	20-स्वास्थ्य विभाग	1906.69	1525.10	381.59	97.83
9	21-मानव संसाधन विकास विभाग	9348.22	8665.81	682.41	<b>546.91</b>
10	24-सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	57.35	52.57	4.78	0.25
11	25-सूचना प्रायोगिकी विभाग	94.24	49.23	45.01	0.24
12	26-श्रम संसाधन विभाग	157.98	130.69	27.29	17.94
13	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	335.87	247.02	88.85	88.04
14	32-विधान मंडल	71.12	70.94	0.18	7.74
15	33-सामाज्य प्रशासन विभाग	281.23	264.31	16.92	48.62
16	37-ग्रामीण कार्य विभाग	536.27	388.45	147.82	0.70
17	38-निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	91.31	84.57	6.74	16.84
18	41-पथ निर्माण विभाग	586.86	392.13	194.73	3.57
19	42-ग्रामीण विकास विभाग	1367.04	1271.14	95.90	22.08
20	45-गान्धा उद्योग विभाग	49.42	42.37	7.05	26.04
21	47-परिवहन विभाग	26.02	18.04	7.98	3.17
22	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	1788.78	611.56	1177.22	354.68
23	51-समाज कल्याण विभाग	2349.01	2082.53	266.48	341.14
	<b>कुल राजस्व (दत्तमत)</b>	<b>20290.02</b>	<b>16907.07</b>	<b>3382.95</b>	<b>1678.32</b>
	<b>कुल राजस्व (दत्तमत+भारित)</b>	<b>24868.96</b>	<b>21285.72</b>	<b>3583.24</b>	<b>1681.18</b>
<b>ब पूँजीगत दत्तमत</b>					
1	12-वित्त विभाग	35.52	19.08	16.44	1158.00
2	20-स्वास्थ्य विभाग	193.22	181.14	12.08	10.05
3	26-श्रम संसाधन विभाग	20.00	12.64	7.36	2.00
4	35-योजना एवं विकास विभाग	34.89	30.44	4.45	10.26
5	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	865.81	627.19	238.62	30.00
6	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2.06	1.67	0.39	1.39
7	43-विज्ञान एवं प्रायोगिकी विभाग	110.75	103.80	6.95	34.16
8	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2.00	0.00	2.00	5.00
9	49-जल संसाधन विभाग	2279.76	1309.81	<b>969.95</b>	752.95
	<b>कुल पूँजीगत</b>	<b>3544.01</b>	<b>2285.77</b>	<b>1258.24</b>	<b>2003.81</b>
	<b>महायोग</b>	<b>28412.97</b>	<b>23571.49</b>	<b>4841.48</b>	<b>3684.99</b>

स्रोत: राज्य विनियोजन लेखे, 2010-11)

(₹ क्रेड एं)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्राप्तियां	पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बदल
1	8	2204-00-101-0001-शारीरिक शिक्षा	2.36	0.46	2.29	0.00	0.53
2	14	6004-04-800-0020-वाणिजित सेवाओं के लिए राष्ट्रीय जलसंग्रह विकास परियोजना	0.35	0.03	0.34	0.00	0.04
3	16	2515-00-198-0001-योगदानी राज संसाधनों को सहायता	राज 431.63	0.59	221.79	210.27	0.16
4	20	2210-01-110-0012-राजेन्द्र अस्पताल, पटना	बंगर 2.98	2.51	2.05	2.50	0.94
5	20	2210-02-101-0004-राजकीय आयुर्विदिक कॉलेज अस्पताल, पटना	2.39	0.11	2.29	0.11	0.10
6	20	2210-05-105-0003-दरबंगा कॉटेक्टल	28.43	1.41	26.55	3.15	0.14
7	20	2210-06-003-0002-लोक संस्थान	स्वास्थ्य 8.61	0.35	6.56	1.13	1.27
8	20	2210-06-101-0003-राष्ट्रीय मनोरोग उन्नातन कार्यक्रम	21.75	1.90	18.08	3.76	1.81
9	20	2210-06-104-0001-ओषधि विवरण स्थापना	8.54	0.01	5.24	0.78	2.53
10	20	2251-00-000-0007-स्वास्थ्य एवं परिवर्तन कार्यालय विभाग	2.29	0.09	1.89	0.48	0.01
11	21	2202-04-001-0002-जन शिक्षा का विवरण	क्रियाकाल 1.34	0.20	1.08	0.12	0.34
12	22	2055-00-101-0004-विटेंजियो कियाकलापी का परीक्षण	0.50	0.07	0.36	0.04	0.17
13	22	2055-00-104-0003-विशेष सुरक्षा वल	25.10	0.05	23.67	1.37	0.11
14	39	2245-02-101-0006-आग लगाने से संतुलित मानवों के लिए अनुदान	24.00	1.00	6.12	18.87	0.01
15	39	2245-02-101-0007-आग लगाने से संतुलित वल आवि के लिए अनुदान	10.50	1.00	5.38	5.78	0.34
16	39	2245-02-118-0001-कालिकरत नार्यों का मरम्मत/व्यवहार जारी का निर्माण	6.00	1.00	0.85	6.08	0.07
17	41	3054-80-001-0001-विवरण	28.29	0.20	23.19	3.31	1.99
18	41	3054-80-001-0006-राष्ट्रीय उच्च पद्धति विवेजना-विवरण	50.00	30.00	6.67	26.35	46.98
19	42	2501-01-800-0102-स्वर्ण जयंति याम द्वयोजनार योजना	111.00	0.07	52.47	57.72	0.88
20	42	2505-01-701-0102-राष्ट्रीय गांगोत्री विवेजन कार्यक्रम का क्षेत्रीय स्थापना	2.00	0.25	1.86	0.32	0.07

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य का वित्त)

## परिशिष्ट 2.5

क्रम सं ०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अव्यर्पण	अंतिम बचत
21	48	2217-80-191-0010-ज्याहरवे वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निकायों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक अनुदान	32.56	0.50	28.63	0.00	4.43
22	48	2217-80-192-0001-ज्याहरवे वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक अनुदान	28.72	0.48	22.01	0.00	7.19
23	49	2700-03-101-0002- अन्य रख-रखाव व्यय	55.05	4.50	42.19	0.88	16.48
24	49	2701-04-001-0001-स्थापना	32.14	3.00	28.94	5.58	0.62
25	49	4700-02-800-0101-गोंडक बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना (कार्य)	0.05	4.50	0.00	0.00	4.55
26	49	4701-04-001-0101-स्थापना	2.78	0.01	2.10	0.63	0.06
<b>कुल</b>			<b>919.36</b>	<b>54.29</b>	<b>532.60</b>	<b>349.23</b>	<b>91.82</b>

(स्रोत: विस्तृत विनियोजन लेखा, बिहार सरकार एवं अनुदान लेखा परीक्षा पंजी)

				(₹ करोड़ में)	
क्रम संख्या	अबुदाब लंबाया	लेखा शोर्स एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	अंतिम बदल
1	2	2403-00-101-0003-अस्पताल, औषधालय एवं अन्य स्थापना	77.97	-1.76	1.42
2	3	2059-80-052-0001-नई आपूर्ति एवं मरम्मती	1.00	-0.07	0.20
3	4	2013-00-101-0002-टोले वैनिलोन	2.03	-0.05	0.02
4	4	2070-00-114-0001-सरकारी वायुयानों का अनुरक्षण	17.62	-0.41	0.03
5	8	2204-00-104-0001-खेलकूद	4.38	-0.46	1.54
6	8	2205-00-107-0101-रेगिस्ट्रेशन	2.70	-0.50	1.57
7	13	2049-04-101-0002-1989-90 से प्राप्त प्रचंड अन्य पर ज्ञान	156.58	-0.13	45.27
8	14	6004-02-101-0001-1989-90 से प्राप्त प्रचंड अन्य	121.66	-0.04	46.32
9	16	2515-00-198-0004-ग्राम चंगायारों में लिपिक सह रोकड़पाल को पारिश्रमित	40.62	-1.44	2.08
10	20	2210-01-001-0001-अर्थीकरण	20.18	-2.34	1.63
11	20	2210-01-110-0013-संसद अस्पताल	123.26	-1.33	16.01
12	20	2210-01-200-0001-अस्पताल औषधालय (यक्षमा उभूलन कार्यक्रम)	31.87	-0.04	0.84
13	20	2210-01-200-0002-अस्पताल औषधालय (कुफ उभूलन कार्यक्रम)	46.33	-2.06	4.91
14	20	2210-03-110-0001-सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र	50.98	-0.08	5.42
15	20	2210-05-105-0002-जातीयीय मौद्रिकन कालिज, वैतिया	5.62	-1.41	2.19
16	20	2210-05-105-0024-जातीयीय मौद्रिकन कालिज, गंधेश्वर	5.62	-1.40	0.14
17	20	2210-06-102-0001-लोक स्वास्थ्य एवं समाई कार्यक्रम (ज्ञान विहारी स्वापान)	2.61	-0.05	1.04
18	20	2210-06-200-0001-अस्पताल लोगों के लिए योग प्रशिक्षण	11.00	-2.17	0.79
19	20	2210-06-800-0002-पिछङ्ग घोगों के लिए खास्त्य एवं चश्मा वितरण योजना	7.00	-1.75	1.26
20	21	2202-03-102-0002-मानव विश्वविद्यालय (सहायता अबुदाब)	273.34	-41.39	1.94
21	21	2202-03-102-0004-ज्ञान प्रकाश विश्वविद्यालय छपर (सहायता अबुदाब)	63.81	-6.09	0.02
22	21	2202-04-800-0102-प्रीक शिक्षा	75.00	-3.00	52.86
23	26	2230-01-101-0007-कृषि में व्यूलतम मजदूरी अधिकार्यन का कार्यालय	20.84	-0.37	0.34
24	26	2230-01-101-0108-अस्म अधिकार्यों के कियावन हेतु प्रवर्तन तत्र का सुदृढ़ीकरण	0.59	-0.07	0.10
25	26	2235-60-800-0103-आन आदमी के लिए बीमा योजना	12.75	-0.50	11.77
26	32	2011-02-102-0006-संसदीयण	6.80	-0.96	0.06
27	35	3454-02-204-0002-केवीय सामियकी संगठन	15.01	-1.25	0.31
28	39	2245-02-101-0002-आसाध की आपूर्ति	140.40	-1.00	1.22
29	39	2245-02-107-0001-सरकारी स्वास्थ्य एवं शिक्षा भवनों की मरम्मत एवं पुनर्नियापन	0.50	-0.12	0.09
30	39	2245-02-109-0001-सरकारी जलपार्श्वी बालों एवं मल प्रवाह प्रणाली का मरम्मत एवं पुनर्नियापन	0.80	-0.20	0.15
31	39	2245-02-114-0001-कृषि इनपुट अबुदाब (संतिरास फसलों के लिए)	28.41	-0.75	4.15
32	39	2245-02-114-0003-कृषि फसलों की सहायता अबुदाब	1.00	-0.25	0.19
33	39	2245-02-114-0005-प्रौद्योगिक फसलों की सहायता अबुदाब	0.50	-0.12	0.09
34	39	2245-02-115-0001-मूर्म से देटा/ग्राफ/लवणता साफ करने के लिए फिल्टरों की सहायता	1.00	-0.25	0.19
35	39	2245-02-115-0002-मानस्त्य पालन प्रक्रेत्र से गाद/बालू आदि का निकासी	0.50	-0.12	0.09

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य का वित्त)

## परिशिष्ट 2.6

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत
36	39	2245-02-116-0001-खराब ट्यूवेलों/पम्पसेटों आदि की मरम्मति के लिए किसानों को सहायता	0.50	-0.12	0.09
37	39	2245-02-117-0001-बाढ़ एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों से पशुओं का परिवर्तन	2.50	-0.50	0.50
38	39	2245-02-282-0001-मानव हेतु दवाओं की आपूर्ति	2.25	-0.50	0.19
39	39	2245-02-282-0003-चलन्त स्वास्थ्य केन्द्र हेतु पी.ओ.एल. की आपूर्ति	1.00	-0.25	0.08
40	39	2245-02-800-0006-कल्याण विभाग हेतु अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति	0.55	-0.14	0.10
41	40	2029-00-104-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय	367.23	-0.12	13.35
42	41	3054-03-337-0001-सइक निर्माण कार्य	330.00	-30.00	0.64
43	41	3054-80-001-0002-पर्यावरण	176.31	-0.32	4.29
44	42	2216-03-105-0102-इंदिरा आवास योजना	780.00	-0.65	5.30
45	48	2217-80-193-0001-ग्याहरवे वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायता अनुदान	18.94	-0.98	2.64
46	49	2700-02-101-0002-अन्य रख-रखाव व्यय	19.99	-4.00	0.63
47	49	2700-03-001-0001-स्थापना	169.32	-0.13	2.54
48	49	4700-01-001-0101-स्थापना	46.28	-0.02	0.43
49	49	4700-03-800-0101-सोन बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना	96.64	-4.50	4.69
50	50	2702-02-005-0001-सर्वेक्षण एवं खोज	104.06	-0.03	1.49
कुल			<b>3485.85</b>	<b>-116.19</b>	<b>243.21</b>

(स्रोत: विस्तृत विनियोजन लेखा, बिहार सरकार एवं अनुदान लेखा परीक्षा पंजी)

**परिशिष्ट** वर्ष के दोरान पर्याप्त आम्यज्ञ (रूपों करोड़  
**2.7** या उससे अधिक)

(सदर्क: कांडिका 2.3.7, पृष्ठ 40)

क्रम नं०	अनुदाल का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का सीरीज़)	कुल प्रबंधान				वर्चन प्रतिशत
			वास्तविक छाया	अम्यज्ञ दराज	वर्चन	प्रतिशत	
1	01-कृषि विभाग	2401-00-103-0614-समोक्षेत्र अनाज विकास कार्यक्रम (गांडकोडेंड 90:10)	32.83	8.10	24.59	0.14	74.90
2		2401-00-107-0602-समोक्षेत्र कीट प्रबंधन कार्यक्रम (गांडकोडेंड 90:10)	7.07	0.81	6.21	0.05	87.84
3		2401-00-119-0101-उद्यान विकास योजना	10.00	2.05	7.95	0.00	79.50
4		2402-00-102-0602-एज.कृष्ण.डी.पी.आर.ए. (गांडकोडेंड 10:90)	9.00	2.19	6.75	0.06	75
5	02-पशु एवं मत्तव्य संसाधन विभाग	2403-00-101-0101-अन्यताल, औषधालय तथा अन्य स्थानों की योजना	65.61	10.09	54.40	1.12	82.91
6		2403-00-106-0607-पशुओं की बीमारी के विवरण एवं रोकाना की योजना	24.00	3.52	20.48	0.00	85.33
7		2403-00-106-0104-पशुओं की बीमारी के विवरण एवं रोकाना की योजना	8.00	1.06	6.83	0.11	85.37
8		2403-00-101-0104-मत्तव्य तालाब का विकास एवं जीर्णोद्धार	10.50	1.41	8.16	0.93	77.71
9	04-संसाधन संविधान विभाग	5053-02-102-0101-इवाई अड्डा	9.03	0.83	5.09	3.11	56.37
10	06-निवासिन विभाग	2015-00-108-0001-मत्तदाताओं को प्रदान-पत्र वितरि करने पर व्यवहार	20.10	8.34	10.55	1.21	52.49
11	09-संदर्भानुसार विभाग	2401-00-116-0107-प्रायदर्श बीमार आपारित करने वाला विवरण अनुदान फसल बीमा विधि को प्रोतिव्यवस्था अनुदान	150.00	68.55	81.45	0.00	54.30
12	10-उर्जा विभाग	2801-80-196-0002-जीवी गैंडी गान्धी विद्युतीकरण परियोजना एवं राष्ट्रीय सम्बन्धित विकास योजना	86.70	40.96	45.74	0.00	52.76
13	16-वंचायती राज विभाग	2515-00-196-0003-वंचायती जीवी गान्धी विद्युतीकरण परियोजना एवं राष्ट्रीय सम्बन्धित विकास योजना को संभवता	46.29	4.77	41.52	0.00	89.70
14		2515-00-197-0001- पंचायती राज संस्थाओं को संभवता अनुदान	92.74	14.47	78.27	0.00	84.40
15		2515-00-198-0004-गान्धी पंचायत में विप्रिक तथा रोकड़ाना को पारिवोधिक	40.62	0.00	38.54	2.08	94.88
16		2515-00-198-0105-गान्धी पंचायत के विवाहित प्रलोकितियों को विवाह भत्ता	18.09	0.99	15.69	1.41	86.73
17		2515-00-198-0106- गान्धी करनी के विवाहित प्रलोकितियों को विवाह भत्ता	18.51	1.44	11.78	5.29	63.64
18		2515-00-800-0012- गान्धी करनी के विवाहित मटी हेतु विवाहित प्रलोकितियों को विवाह भत्ता	45.70	20.69	25.01	0.00	54.73
19	17- वाणिज्य कर विभाग	2040-00-001-0005-मिशन बोर्ड प्रोजेक्ट	20.87	2.50	18.37	0.00	88.02
20	20-मत्तव्य विभाग	2210-01-110-0016-मानविक आपोद्धाराता	9.50	4.24	5.26	0.00	55.37
21		2210-05-105-0024-राजसीध मेडिकल कॉलेज, लखनऊ	5.62	0.27	5.22	0.13	92.88
22		2210-06-200-0001-अन्य लोगों के लिए योग प्रशिक्षण	11.00	0.00	10.21	0.79	92.82

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य का वित्त)

## परिशिष्ट 2.7

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अभ्यार्पित राशि	बचत	प्रतिशत
23	20-स्वास्थ्य विभाग	2210-06-800-0002-पिछङे वर्गों को स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना	7.00	0.39	5.35	1.26	76.43
24		2211-00-001-0602-तकनीकि परामर्श एवं पर्यवेक्षण राज्य परिवार कल्याण ब्लूरों	7.77	1.45	6.32	0.00	81.34
25	21-मानव संसाधन विकास विभाग	2202-02-001-0101-माध्यमिक शिक्षा निवेशलय	16.57	0.85	11.11	4.61	67.05
26		2202-02-110-0003-माध्यमिक, बहुउद्देशीय तथा अल्पसंख्यक विद्यालय	201.00	40.68	158.84	1.48	79.02
27	22-गृह विभाग	2055-00-001-0003-केंद्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्रय	26.99	9.46	17.53	0.00	64.95
28		2055-00-001-0008-सिपाही की नियुक्ति हेतु केंद्रीय चयन पर्षद	15.44	4.91	10.53	0.00	68.20
29		2055-00-800-0105-पुलिस प्रशासन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास	9.50	3.39	6.11	0.00	64.32
30		2070-00-108-0102-अग्निशमन उपकरणों का क्रय	74.35	6.28	68.07	0.00	91.55
31		4055-00-800-0102-वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पुलिस अकादमी के लिए आवासीय भवन का निर्माण, प्रशिक्षण केन्द्र	40.00	11.20	28.80	0.00	72
32		4070-00-051-0103-केंद्रीय मंडल/उपकारणों के भवन निर्माण (गृह कारा विभाग)	6.90	0.00	5.05	1.85	73.19
33	23-उद्योग विभाग	2851-00-107-0101-पिछङे वर्गों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास	6.41	1.05	5.13	0.23	80.03
34		4885-02-800-0101-उद्योग विकास के लिए भू-अर्जन	282.31	9.56	269.04	3.71	95.30
35	25-सूचना प्रारौद्रिगिकी विभाग	2852-07-202-0109-ई-शासन राज्य योजना	14.00	5.83	8.17	0.00	58.36
36		4859-02-800-0101-बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान)	109.00	9.00	100.00	0.00	91.74
37	27-विधि विभाग	2014-00-003-0001-बिहार न्यायिक सेवा प्रशिक्षण संस्थान	10.83	0.86	9.97	0.00	92.06
38		2014-00-106-0001-लघु वाद न्यायालय	42.86	0.08	42.74	0.04	99.72
39		2014-00-114-0002-गरीबों को न्यायिक सहायता	7.59	1.71	5.88	0.00	77.47
40	30-अल्प संख्यक कल्याण विभाग	2250-00-800-0612-अल्पसंख्यकों का बहुक्षेत्रीय विकास योजना	254.84	99.82	154.91	0.11	60.79
41	35-योजना एवं विकास विभाग	2053-00-800-0102-योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण	261.98	2.46	259.52	0.00	99.06
42		3454-02-204-0620-भारत सांस्कृतिक सुदृढ़ीकरण परियोजना	30.10	0.05	30.05	0.00	99.83
43	36-लोक स्वास्थ्य औभियंत्रण विभाग	2215-01-800-0001-सरकारी भवनों में जलापूर्ति की मरम्मत	24.83	11.44	13.39	0.00	53.93
44		4215-01-102-0101-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना-कार्य	35.20	13.59	21.39	0.22	60.77
45		4215-01-102-0116-ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिए संरचना का विकास हेतु नाबाई से ऋण	49.50	15.08	34.12	0.30	68.93
46		4215-02-800-0102-शमशान घारों का आधुनिकीकरण एवं विकास	16.37	8.07	8.30	0.00	50.70

## परिशिष्ट 2.7

क्रम सं. ०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का सीधे)	कुल प्रबंधन	वास्तविक व्यय	अव्याप्ति राशि	बचत	प्रतिशत
47	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-01-101-0002-नायाबांगी की आपूर्ति	20.50	0.89	17.77	1.84	86.68
48		2245-02-101-0001-जै.सहायी एवं विकलांगों को नगद सहायता	32.00	12.40	19.60	0.00	61.25
49		2245-02-101-0002-नायाबांगी की आपूर्ति	140.40	52.02	87.16	1.22	62.08
50		2245-02-101-0004-प्रशावितों के कथड़ा एवं चाल का मुफ्त वितरण	25.25	4.71	20.03	0.51	79.33
51		2245-02-101-0006-आग लगाने से क्षतिग्रस्त मजाली के लिए अनुदान	24.00	6.12	17.87	0.01	74.46
52		2245-02-106-0001-क्षतिग्रस्त साकें एवं पूलों की समस्त तरह प्रशाविता	17.00	0.44	12.26	4.30	72.12
53		2245-02-112-0002-जबरदस्त्या का निष्काशन	23.00	11.15	11.85	0.00	51.52
54		2245-02-112-0104-संचार उपकरणों का कर	14.17	0.20	8.01	5.96	56.53
55		2245-02-113-0001-बाड़ रो क्षतिग्रस्त मकानों की समस्ति पुर्वस्तुपात	34.16	0.10	26.42	7.64	77.34
56		2245-02-115-0001-क्षतिग्रस्त नावों की मरुपाली एवं नावों का वितरण	6.00	0.85	5.08	0.07	84.67
57	40-नायक एवं श्रमिक सुधार विभाग	2029-01-03-0104-नायक प्रशावित का सुदृढ़ीकरण	14.46	4.81	7.89	1.76	54.56
58		2029-00-800-0101-जोती की चक्कड़ी	20.00	8.69	11.31	0.00	56.55
59	42-आपानी विकास विभाग	2501-01-800-0102-रक्षण जयंती गांग स्ट्रोजांग योजना	111.00	52.47	57.65	0.88	51.94
60	44-अनुरूपित जालि एवं अनुरूपित जलालित कल्याण विभाग	4225-01-051-0101-नायानीय विद्यालय एवं भवन का विनाश एवं जीर्णांकार	12.75	4.48	8.05	0.22	63.14
61	48-नायक विकास एवं आवास विभाग	2217-80-800-0122-नायाट्र लाल लेहल राष्ट्रीय शहरी नवीकरण विद्यालयों	900.00	30.14	675.00	194.86	75
62	49-जल संसाधन विभाग	2705-00-001-0102-नेत्र विकास कमांड स्टर	178.40	79.64	94.01	4.75	52.70
63		2711-01-800-0103-बाड़ प्रबंधन यूजान प्रणाली विकास ड्राइ सर्पेशित	10.00	2.54	7.46	0.00	74.60
64		4700-01-800-0102-नावी कोटि वेतन की विचार्ह परियोजनाएँ (कार्य) (ए.आई.सी.पी.)	600.00	201.02	392.86	6.12	65.48
65		4700-03-800-0102-जल वेतन की विचार्ह परियोजनाएँ (2.आई.सी.पी.)	250.00	25.73	218.62	5.65	87.45
66		4701-03-800-0102- सांचे बैंसन की विचार्ह परियोजनाएँ (कार्य) (ए.आई.सी.पी.)	19.90	2.17	14.95	2.78	75.13
67		4701-03-800-0103-जल वेतन की विचार्ह परियोजनाएँ (कार्य) (नवार्क सम्प्रीति योजना)	26.63	7.04	18.09	1.50	67.93
68		4711-01-001-0106-नल विनाशरण परियोजनाएँ (कार्य)	21.85	8.77	12.04	1.04	55.10
69	50-नल जल संसाधन विभाग	2702-02-005-0003-सहायी योजनाओं का समर्थन एवं अनुसाधन अनुदान	6.00	0.04	5.76	0.20	96
70		2702-03-103-0104-नेत्री बलकृष्ण	7.00	1.54	5.51	0.05	78.71

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य का वित्त)

## परिशिष्ट 2.7

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अभ्यर्थित राशि	वचत	प्रतिशत
71	50-लघु जल संसाधन विभाग	4702-00-102-0101-अधूरे नलकूपों योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबाड़ से ऋण	61.50	5.61	55.83	0.06	90.78
72	51-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235-02-101-0106-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	10.50	0.03	10.35	0.12	98.57
कुल			<b>4879.59</b>	<b>978.09</b>	<b>3629.82</b>	<b>271.78</b>	

(ट्रोत: राज्य के विस्तृत विनियोजन लेखा)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदाता का नाम एवं संलग्न	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रबंधन का अभ्यर्पण
1	01-कृषि विभाग	2401-00-001-0103-कृषि विषयाल	25.00
2		2401-00-800-0105-राज्य किसान आयोग	0.50
3		2401-00-800-0109-एप्पी विजिलेस इंडियाकर्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (शहद संपोषित परियोजना)	20.00
4	02-पशु एवं मरुस्थल संसाधन विभाग	2403-00-001-0101-निवेदालय एवं लोकीय प्रशारण	4.00
5		2403-00-101-0107-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	12.88
6		2405-00-101-0605-अन्तर्राष्ट्रीय मरुस्थल संचयकों का विकास	0.27
7		2405-00-101-0612-मरुस्थल विकास योजना	4.50
8		2405-00-101-0107-मरुस्थल अनुसंधान योजना	0.42
9		2405-00-101-0112-मरुस्थल विषयाल योजना	1.50
10		2405-00-101-0115-अनुरूपीत जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना	0.35
11	03-भवन नियन्त्रण विभाग	2059-01-053-0011-पशुपालन विभाग के भवन का अनुरक्षण और मरुस्थल हेतु	0.65
12		2059-80-103-0004-नियोजित भवनों का संजार-संज्ञा	0.30
13		4216-80-101-0001-नियन्त्रण के पूर्व के प्रारंभिक कार्य	0.10
14	08-कला, संस्कृति एवं थुगा विभाग	4202-04-800-0101-विद्यालय संरक्षण प्रक्रिया में होने वाला व्यय (वित्त आयोग)	30.00
15	10-जर्जी विभाग	2801-80-190-0101-विहार राज्य विद्युत बोर्ड के रिसोर्स गैप	360.00
16		2810-60-600-0101-जौर परव्यवर्गत ऊर्जा स्रोत हेतु सहायता अनुदान	20.00
17		4801-05-800-0102-विहार राज्य विद्युत बोर्ड के संवारण एवं वितरण परियोजना (शहद संपोषित परियोजना)	100.00
18		6801-00-800-0104-विहार राज्य जल विद्युत नियम की ऋण	5.00
19	11-पिछड़ा बर्ज एवं आंतरिपिछड़ा वर्जी कल्याण विभाग	2225-03-277-0001-अन्तर्राष्ट्रीय/वृत्तियां	0.25
20	12-विद्या विभाग	4058-00-103-0101-मार्शीनी और उपस्थित सरकारी प्रेस गुलजार बाग के आधिकारीकरण की योजना	1.50
21	13-ज्ञान अंदाय	2049-01-115-0001-मार्शीय रिजर्व बैंक से अवैधाय पेशी	3.00
22	16-पंचायती राज विभाग	2515-00-101-0110-पंचायती राज व्यवस्था और मानव विकास	10.47
23		2515-00-196-0002-वासीन्य अध्यक्षों हेतु जिला परिषदों के अनुदान	1.00
24		2515-00-800-0112-ज्ञान कवरसी के विभिन्न नदी हेतु व्यय	6.96
25		2515-00-800-0115-पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन विकास (शहद संपोषित परियोजना)	10.47
26		4515-00-101-0104-पंचायती राजकर अवल-वित्त आयोग की अनुशंसा	177.00

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का  
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य का वित्त)

## परिशिष्ट 2.8

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्थण
27	17-वाणिज्य कर विभाग	2040-00-001-0105-मिशन मोड प्रोजेक्ट	8.84
28		4047-00-051-0101-भवन निर्माण	4.08
29	19-पर्यावरण एवं वन विभाग	2406-01-105-0104-प्रदूषण नियंत्रण पार्श्व	3.00
30		2406-02-110-0120-आश्रणियों का विकास	0.15
31		2406-02-110-0603-अन्य उद्यान-संजय गाँधी जैविक उद्यान (शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	0.50
32		2406-02-110-0605-आश्रणियों का विकास (शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	0.50
33		2406-02-110-0615-बालिमकी नगर ब्याप्र योजना इकौ डेबलेपमेन्ट (शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	0.25
34		2406-02-110-0619-अविकसित भूमि का विकास	0.10
35		2406-02-110-0620-आश्रणियों का विकास	0.15
36		2406-02-110-0109-संजय गाँधी जैविक उद्यान (50:50) केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित योजना	0.30
37		2406-02-111-0601-अन्य पार्क	0.30
38	20-स्वास्थ्य विभाग	2210-05-105-0015-शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति	0.10
39		4210-01-051-0103-जिला चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय एवं आवसीय भवनों का निर्माण	0.90
40		4210-01-051-0104-शहरी क्षेत्र में राजकीय औषधालय का निर्माण	1.07
41		4210-80-800-0102-रेफरल अस्पताल के अधूरे भवनों का निर्माण	1.50
42		4210-80-800-0104-स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भू-अर्जन	1.40
43	21-गृह विभाग	2202-02-109-0605-आई. टी.सी. परियोजना	10.00
44		2202-02-109-0105- आई. टी.सी. परियोजना	3.34
45		2205-00-105-0011-राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता एवं राज्य सरकार की संयुक्त निधि से अनुदान	0.40
46	23-उद्योग विभाग	2851-00-103-0112-पिछ़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना	1.05
47		2852-80-102-0147-बिहार के औद्योगिक विकास अभियान के अंतर्गत पूँजी निवेश हेतु समूहों का निर्धारण/सृजन का आयोजन	0.25
48		2852-80-800-0101-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों का आधारभूत संरचनाओं का सृजन, विकास एवं रख-रखाव	115.00
49		2852-80-800-0102-विभागीय योजनाओं के प्रचार एवं प्रकाशन योजना	0.25
50		6885-01-190-0101-औद्योगिक विकास योजना के लिए बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को ऋण	11.06
51		6885-01-800-0101-अन्य ऋण	0.60
52	25-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2852-07-202-0104-ई-क्रय योजना	5.00
53		2852-07-202-0106-ज्ञान सिटी योजना	5.00
54		2852-07-202-0111-ई. शासन परियोजना-वित्त आयोग की अनुशंसा पर	7.00
55		4859-02-800-0102-सूचना प्रौद्योगिकी भवन	5.00
56	27-विधि विभाग	2014-00-106-0002-वित्त आयोग की अनुशंसा पर ए.डी.आर. केन्द्र	8.15

## परिशिष्ट 2.8

क्रम संख्या	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यास
57	30-अन्य सञ्चालक कल्याण विभाग	2250-00-003-0101-अल्पशिक्षक बच्चे के कानूनी एवं धैर्यशिक्षण	1.00
58	35-योजना एवं विकास विभाग	3454-02-204-0120-भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना	0.10
59	36-लोक स्थान्य अधिकारीय विभाग	2215-01-198-0001-गान्धीन पंचायतों को चापाकलों की मरम्मती हेतु सहायक अनुदान	7.20
60		4215-01-102-0112-केवल द्वारा प्रावित योजना का राज्यों भू-गांधीय जल विधान एवं फैल बाटर हाइटेंडिंग	0.50
61	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-01-101-0003-सेतार धरियारों के अनुग्रह अनुदान का भूगतान	0.20
62		2245-01-104-0001-वारे की पूर्ति	1.50
63		2245-01-105-0001-पशुओं के लिए दवा	0.75
64		2245-01-282-0001-दवाओं की आपूर्ति	0.75
65		2245-01-800-0003-आवृत्ति कार्य (क्षुषि विभाग हेतु कृषि इनपुट अनुदान)	25.00
66		2245-02-104-0001-वारे की पूर्ति	2.07
67		2245-02-108-0001-सारकारी आवासीय अवरों की मरम्मत एवं प्रत्यास्थापन	0.10
68		2245-02-109-0004-संचार उपकरणों का कथ	0.20
69		2245-02-119-0001-हल्तरीय बुलकर्तों को पारम्परिक कथा उपकरणों की मरम्मति/पुनर्जीवन हेतु सहायता	0.15
70		2245-02-119-0002-सूत एवं सामग्रियों के कथ हेतु सहायता	0.15
71		2245-02-119-0003- स्ट्रक्चरा बुलकर्तों को सहायता अनुदान	0.13
72		2245-02-122-0001-शतिहस्त सिंचाइ प्रगती एवं बढ़ विवरण प्राप्तानों की मरम्मति	5.00
73		2245-02-196-0001-जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत को सहायता अनुदान	0.10
74		2245-02-197-0001-प्रकल्प एवं पंचायती/मत्त्व स्तरीय पंचायत को सहायता अनुदान	0.20
75		2245-02-800-0008-क्षतिहस्त विद्युत प्रणाली हेतु	2.00
76	40-राज्य एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-103-0002-लोगों स्तरों का प्रबंधन	0.15
77	42-गान्धीन विकास विभाग	2515-00-003-0101-विवाह वासीण विकास प्रोशक्षण संस्थान	1.00
78	44-अनुदान जाति एवं अनुसन्धित जनजाती कल्याण विभाग	2225-01-277-0101-शिक्षा	3.30
79		4225-01-277-0101-अनुदानित जाति के छात्रों एवं छात्राओं के अनुदान अवधि का लिङ्गण	6.60
80	49-जल संवाधन विभाग	4700-02-800-0102-गंडक बेसिन की सिंचाइ परियोजनाएँ (कार्य)	0.10

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का  
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य का वित्त)

## परिशिष्ट 2.8

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्थण
81	49-जल संसाधन विभाग	4700-02-800-0404-गंडक परियोजना अंतर्गत नेपाल हितकारी योजना	125.00
82		4701-80-005-0101-सर्वेक्षण और रखाव (स्थापना)	0.50
83		4711-01-800-0610-गंगा नदी से कटाव नियोधक योजना	375.00
84		4711-01-800-0114-वित्त आयोग के अधीन बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	40.00
85	50-लघु जल संसाधन विभाग	4702-00-102-0606-भारत निर्माण योजना	25.00
86		4702-00-102-0103-नई/अधुरी उद्धव सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	5.00
87		4702-00-102-0106-भारत निर्माण योजना	15.00
88	51-समाज कल्याण विभाग	2235-02-001-0103-निदेशन एवं प्रशासन	0.55
89		2235-02-102-0105-सूचना पद्धति प्रबंधन के अंतर्गत समेकित बाल विकास योजना	6.00
90		2235-02-102-0107-दुलार रणनीति योजना	14.45
91		2235-02-106-0105-मंद बुद्धि के बच्चों के अनुदान के लिए विद्यालय की स्थापना	3.00
92		2236-02-101-0802-कुपोषित गर्भवती/शिशुवती महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिए खाद्यानों के वितरण की विशेष योजना	15.18
93		4235-02-102-0103-वाह्य संपोषित योजना-समेकित बाल विकास योजना	142.89
		<b>कुल</b>	<b>1817.18</b>

(स्रोत: विस्तृत विनियोजन लेखा, बिहार सरकार)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/पुनर्विनियोजन का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान/पुनर्विनियोजन	बचत	आन्ध्रप्रदेश राशि	आन्ध्रप्रदेश राशि
उपचरण-दरमात					
1	11-पिछड़ा वर्ग एवं अलिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	121.37	8.97	12.78	3.81
2	17-वाणिज्य कर विभाग	86.60	30.14	35.63	5.49
3	23-उद्योग विभाग	448.94	157.90	158.98	1.98
4	33-राजमार्ग प्रशासन विभाग	329.85	65.54	87.65	22.11
5	46-पर्यटन विभाग	8.10	0.35	1.38	1.03
कुल		<b>994.86</b>	<b>262.90</b>	<b>296.42</b>	<b>33.52</b>
पुर्जीगत-दरमात					
1	10-उर्जा विभाग	1964.10	73.86	291.80	217.94
2	36-लौक उत्तरव्य अधिकारीत्रय विभाग	895.81	268.62	272.49	3.87
3	41-प्रब लिमोन विभाग	4209.01	133.31	151.43	18.12
कुल		<b>7068.92</b>	<b>475.79</b>	<b>715.72</b>	<b>239.93</b>
गहायोग		<b>8063.78</b>	<b>738.69</b>	<b>1012.14</b>	<b>273.45</b>

(स्रोत: गजय के विनियोजन लेजा, 2010-11)

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का  
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (गजय का वित्त)

89

(सदर्म: कंडिका 2.3.9, पृष्ठ 40)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष रहा	प्रतिशतता
1	03-भवन निर्माण विभाग	111.80	54.26	57.54	51.47
2	04-मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग	29.05	22.48	6.57	22.62
3	08-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	48.16	30.00	18.16	37.71
4	12-वित्त विभाग	1230.08	20.53	1209.55	98.33
5	13-ब्याज संदाय	194.48	27.89	166.59	85.66
6	14-ऋण की वापसी अदायगी	87.93	35.90	52.03	59.17
7	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	65.48	9.37	56.11	85.69
8	20-स्वास्थ्य विभाग	501.56	226.39	275.17	54.86
9	21-मानव संसाधन विकास विभाग	1251.35	846.60	404.75	32.35
10	24-सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	6.38	1.94	4.44	69.59
11	26-श्रम संसाधन विभाग	54.59	34.26	20.33	37.24
12	30-आल्प संख्यक कल्याण विभाग	185.77	164.60	21.17	11.40
13	37-ग्रामीण कार्य विभाग	179.51	134.49	45.02	25.08
14	38-निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	23.62	7.94	15.68	66.38
15	39-आपदा प्रबंधन विभाग	1356.99	372.13	984.86	72.58
16	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	163.93	121.98	41.95	25.59
17	41-पथ निर्माण विभाग	331.61	296.17	35.44	10.69
18	43-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	44.94	22.41	22.53	50.13
19	44-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	56.43	47.40	9.03	16.00
20	45-गन्डा उद्योग विभाग	70.55	41.82	28.73	40.72
21	47-परिवहन विभाग	11.15	9.81	1.34	12.02
22	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	1538.90	792.00	746.90	48.53
कुल		7544.26	3320.37	4223.89	

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	अभिवित राशि	(₹ करोड़ में)	
				(4)	(5)
(1)	(2)	(3)			
1	01	2415-क्षेत्रीय अनुदान तथा शिक्षा	22.04	43.22	
2	02	2404-पश्चिमांश	20.48	85.33	
3	09	2425-सहायता	15.29	45.71	
4	10	2801-जनजीवन	43.25	49.88	
5		4801- जनजीवन परियोजनाओं पर पूँजीगत परिवर्त्य	267.24	25.70	
6		6801- जनजीवन परियोजनाओं के लिए कर्ज	19.10	32.32	
7	13	2049-जनजीवन परियोजनाएँ	22.02	16.49	
8	14	6003-राज्य संसदीय कार्यक्रम का आतिथी ऋण	34.43	20.26	
9	16	2515-जनजीवन विकास कार्यक्रम	329.79	47.19	
10	17	2040-प्रौद्योगिकी व्यापर आदि पर कर	18.37	88.02	
11	20	2210-प्रौद्योगिकी तथा लोक स्वास्थ्य	69.17	9.45	
12		4210-प्रौद्योगिकी तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिवर्त्य	10.16	29.22	
13	21	2202-सामाजिक विद्या	727.85	12.06	
14	22	2055-प्रौद्योगिकी	111.95	6.55	
15		2070-जनजीवन प्रशासनिक सेवाएं	85.67	34.64	
16		4055-प्रौद्योगिकी पर पूँजीगत परिवर्त्य	112.33	48.01	
17	30	2250-जनजीवन सामाजिक सेवाएं	154.91	60.79	
18	35	3454-जनजीवन संसदीय कार्यक्रम	66.97	64.43	
19	36	4215-जनजीवन तथा संपर्क पर पूँजीगत परिवर्त्य	238.38	33	
20	37	3054-जनजीवन तथा संतुष्टि	73.18	20.91	
21		4515-जनजीवन विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिवर्त्य	26.40	8.22	
22	39	2245-प्रौद्योगिकी विपरीति के कारण राहत	276.89	34.95	
23	40	2029-अनु-राज्यव्यवस्था	75.26	20.49	
24	41	3054-जनजीवन तथा संतुष्टि	28.43	16.12	
25		5054-जनजीवन तथा संतुष्टि पर पूँजीगत परिवर्त्य	42.26	12.93	
26	44	2225-अनु-राज्यव्यवस्था जाति, अनु-युधित जनजातियों तथा अन्य विषयों वालों का रक्खण	20.86	28.42	
27	45	6860-जनजीवन उद्योगों के लिए कर्ज	37.46	49.19	
28	49	2700-प्रौद्योगिकी सेवाएँ	34.81	12.95	
29		4700-प्रौद्योगिकी सेवाएँ पर पूँजीगत परिवर्त्य	75.35	30.60	
30		4701-नियम सिवाई पर पूँजीगत परिवर्त्य	36.68	70.23	
31		4711-लघु विद्यालय परियोजनाओं पर पूँजीगत परिवर्त्य	108.80	26.81	
32	50	2702-लघु विद्यालय	83.35	13.69	
33		4702-लघु विद्यालय पर पूँजीगत परिवर्त्य	172.96	75.66	
34	51	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	128.94	11	
35		2236-प्राप्ति	421.31	42.48	
		<b>कुल</b>	<b>4012.34</b>		

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का  
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य का वित्त)

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	वर्ष 2010-11 के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2011 में कुल व्यय	कुल व्यय का प्रतिशतता (रुपयों में)
			राशि	कुल व्यय का प्रतिशतता		
1	2205	19.32	13.22	68.43	9.99	51.70
2	2217	505.16	327.52	64.84	257.89	51.05
3	2402	13.84	10.15	73.35	7.55	54.56
4	2404	47.39	40.37	85.18	27.77	58.60
5	2405	31.84	25.29	79.41	22.63	71.05
6	2435	34.19	31.51	92.16	30.56	89.40
7	2505	269.05	186.64	69.37	167.30	62.18
8	2851	56.52	42.19	74.65	38.05	67.31
9	2852	288.99	185.73	64.27	170.55	59.02
10	3054	632.44	413.57	65.39	320.82	50.73
11	3454	144.34	130.90	90.69	87.64	60.72
12	3604	3.25	3.25	100	3.25	100
13	4055	197.32	169.73	86.02	139.86	70.88
14	4059	118.99	92.42	77.68	79.18	66.54
15	4070	51.72	47.92	92.66	27.41	52.99
16	4210	181.14	180.67	99.74	160.47	88.59
17	4250	14.31	14.31	100	13.75	96.05
18	4406	0.16	0.16	100	0.16	100
19	4425	16.83	16.33	97.03	16.33	97.03
20	4859	9.00	9.00	100	9.00	100
21	4885	9.56	9.56	100	9.56	100
22	5053	0.83	0.83	100	0.83	100
23	6701	0.17	0.17	100	0.17	100
24	6801	878.49	549.87	62.59	519.87	59.18
25	6851	0.15	0.15	100	0.15	100
26	6860	38.69	38.69	100	37.39	96.63
कुल		3563.69	2540.15		2158.13	

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	गुरुत्व शीर्ष	असमाशोधित राशि
1	2011-संसद/दायरा/लघु शासित प्रदेश विधालन्डल	37.49
2	2014-न्याय प्रशासन	297.03
3	2015-विविचित	175.20
4	2029-भू-राजस्व	308.38
5	2030-पेंचकर्या एवं नुट्रिक	28.30
6	2039-राज्य उपाद	28.47
7	2040-विकास, व्यापार और पर कर	15.69
8	2041-वालन पट कर	16.04
9	2048-क्रन घटने या उसका परिहार के लिए विनियोजन	160.00
10	2049-व्याज भूगतान	4319.63
11	2051-लोगों सेवा आयोग	14.66
12	2052-संविलत्य सामाजिक सेवाएँ	67.00
13	2053-वित्त प्रशासन	270.34
14	2054-कौशलाद एवं लेखा प्रशासन	44.64
15	2055-प्रूफिस	2160.63
16	2059-लोग जिमीण कार्य	222.68
17	2070-आम प्रशासनिक सेवाएँ	146.89
18	2071-पैशल एवं अच्युत सेवानिवृत्ति लाभ	6143.86
19	2202-सामाजिक विकास	6960.94
20	2203-तकनीकि विकास	38.79
21	2204-बैलकूद तथा बुवा सेवाएँ	25.51
22	2205-कला एवं संस्कृति	18.28
23	2210-वैकल्पि एवं लोक स्वास्थ्य	1242.33
24	2211-पर्यावार कार्याण	240.35
25	2215-जनजाति एवं साकाहि	403.16
26	2216-आवास	550.73
27	2217-शहरी विकास	505.16
28	2220-सुनान तथा प्रवार	34.46
29	2225-अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिंडियों वालों का कल्याण	523.19
30	2230-अन्य एवं गोजानार	64.04
31	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1011.48
32	2236-पोषाहार	532.46
33	2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	529.30
34	2250-अच्युत सामाजिक सेवाएँ	167.65
35	2251-संविलत्य सामाजिक सेवाएँ	24.03
36	2401-महत्त छोटी-कर्ज	1318.10
37	2403-प्रधानमन्त्री	159.97
38	2404-जन्य विकास	41.43
39	2405-जनराज्य भालन	14.46
40	2406-वालिकी तथा बन्ध प्राप्ति	104.37
41	2408-आवार, भंडारण तथा भंडारणार	10.17
42	2415-कृषि अनुसंधान तथा विकास	158.23
43	2425-सहकारिता	39.75
44	2435-अच्युत कृषि कार्यक्रम	32.34
45	2501-वामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	160.22
46	2505-वाम नियोजन	205.60
47	2515-अच्युत गामीण विकास कार्यक्रम	1510.70

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का  
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य का वित्त)

93

## परिशिष्ट 2.13

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	असमाशोधित राशि
48	2700-वृहत सिंचाई	171.08
49	2701-मध्यम सिंचाई	58.44
50	2702-लघु सिंचाई	540.49
51	2705-कमांड क्षेत्र विकास	80.26
52	2711-बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास	125.17
53	2801-उर्जा	1170.00
54	2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	21.30
55	2852-उद्योग	265.05
56	3054-सङ्कर तथा सेतु	616.56
57	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	32.45
58	3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	142.16
59	3456-सिविल पूर्ति	136.44
60	4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	23.26
61	4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	197.32
62	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	118.99
63	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	31.91
64	4202-शिक्षा, चेल-कूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	130.09
65	4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	164.98
66	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	626.77
67	4225-अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	28.79
68	4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	85.79
69	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	14.31
70	4425-सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	16.83
71	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	1113.80
72	4700-वृहत सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	519.20
73	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	39.12
74	4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	57.35
75	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	702.20
76	4801-उर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1007.23
77	5054-सङ्करों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	<b>4058.24</b>
78	5055-सङ्कर परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	12.51
79	5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	26.55
80	5465-सामान्य वित्तिय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	26.19
	<b>कुल</b>	<b>43444.37</b>

**परिशिष्ट**  
**2.14**      **नित्य प्रयोजन के लिए आकस्मिकता निधि से  
निकासी की विस्तृत विवरणी**

(संदर्भ क्रिकां 2.5, पृष्ठ 41)

(रुपयोग, रुपय)				
क्रम संख्या	संख्या सीरीज़	विभाग/मुख्य ईर्ष का नाम	प्रयोजन	राशि
1	2011	राज्य विधान मंडल	विधान परिषद राज्यवालय का बेतन	0.26
2		राज्यवालय	मोटर वाहन का कद्य	0.06
3		व्यापारिक प्रशासन	बड़े गोटर वाहन का कद्य (बार बार)	1.27
4		व्यापारिक प्रशासन	विकास व्यावहार	0.25
5		व्यापारिक प्रशासन	परिवार व्यावालय के बेतन एवं अच्छ व्यावहार	3.75
6		व्यापारिक प्रशासन	परिवार व्यावालय के लिए बेतन (दो बार)	40.45
7	2015	विवाचन	लौक सभा चुनाव के लिए यात्रा व्यय	0.69
8		सामाजिक सेवाएं-राज्यवालय	जे.पी. सेनानी सम्बन्ध योजना	0.95
9		सामाजिक सेवाएं-राज्यवालय	मोटर कार का कद्य (बार बार)	0.42
10		सामाजिक सेवाएं-राज्यवालय	सुधारनार्ती की बैठक पर व्यय	0.20
11		सामाजिक सेवाएं-राज्यवालय	लैंपार्ट का कद्य	0.12
12		सामाजिक सेवाएं-राज्यवालय	भाइ पर लिए गए वाहन पर व्यय	0.11
13	2053	सामाजिक सेवाएं-राज्यवालय	बेतन एवं भत्ते	1.20
14		जिला प्रशासन	मोटर वाहन के लिए व्यय	0.24
15		जिला प्रशासन	शविय लिये लेजा के संधारण पर व्यय	0.35
16		पुलिस	रिपोर्ट की भर्ती (दो बार)	12.09
17		पुलिस	विद्यार्थी पुलिस अकाउंट के लिए व्यय	1.00
18		पुलिस	स्वेशल डाक कोर्स पर व्यय	0.15
19	2055	पुलिस	यातायात का विवरण एवं रख-रखाव	0.44
20		पुलिस	बेतन एवं भत्ते	16.00
21		पुलिस	विद्यार्थी पुलिस भवन का मरम्मत एवं रख-रखाव	17.20
22	2056	कारागार	जिला कारागार पर व्यय	5.19
23		कारागार	बेतन की अदायगी	0.20
24		अच्छ प्रशासनिक सेवाएं	बर्गोक सुखा संवर्धन पर व्यय	0.23
25		अच्छ प्रशासनिक सेवाएं	मोटर वाहन का कद्य (दो बार)	0.08
26		अच्छ प्रशासनिक सेवाएं	नामांक सुखा	0.10
27		अच्छ प्रशासनिक सेवाएं	बेतन एवं भत्ते	0.35
28	2070	अच्छ प्रशासनिक सेवाएं	अब्देण झरो पर व्यय	0.56
29		अच्छ प्रशासनिक सेवाएं	विद्यार्थ भवन का स्थापना	0.46
30		पेशन तथा अच्छ सेवाओंकी	सेवाओंकी व्यायामीरों एवं उनके परिवार पर विवरण व्यय	0.50
31		पेशन तथा अच्छ सेवाओंकी	आवृत्ति (दो बार)	11.90
32		कला एवं संस्कृति	श्री कृष्ण लेन शदव, मुंगेर के लिए व्यय	0.39
33		कला एवं संस्कृति	कला और संस्कृति का संवर्धन	1.50
34	2225	अनुसंधान जाति, अनुसंधान जनजाति एवं अच्छ पिछड़े गांवों का कल्याण	बेतन एवं अच्छ भत्ते (दो बार)	0.99
35		अनुसंधान जाति, अनुसंधान जनजाति एवं अच्छ पिछड़े गांवों का कल्याण	अच्छ सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रमों के लिए	0.22
36		अनुसंधान जाति, अनुसंधान जनजाति एवं अच्छ पिछड़े गांवों का कल्याण	श्री श्रीमितों का गृह विभाग	2.24
37		सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए व्यय	0.70
38		सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	परिवार एवं आल कल्याण पर व्यय	1.06
39		सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	विकासीकों के लिए रियासती यात्रा योजना	0.35
40	2250	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	लहुकों के लिए सुखा योजना	39.00
41		सामाजिक सेवाएं	शामिक संस्कारों को अद्वान	1.00
42		सामाजिक सेवाएं	शामिकों को प्रतिवार्षिक	8.00

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का  
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य का वित्त)

## परिशिष्ट 2.14

---

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विभाग/मुख्य शीर्ष का नाम	प्रयोजन	राशि
43	2251	सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं	मोटर वाहन के लिए (दो बार)	0.33
44	2401	कृषि विभाग	किसानों को सहायता	61.80
45		कृषि विभाग	कृषि कार्य हेतु क्रय (दो बार)	320.75
46	2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	वनों का सुरक्षा एवं संवर्धन	2.91
47		वानिकी तथा वन्य प्राणी	वेतन एवं अन्य व्यय	0.63
48	2700	वृहत् सिंचाई	मोटर वाहन के लिए	0.11
49	2801	उर्जा	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के उर्जा पर व्यय	90.00
50	2852	उद्योगों	वाणिज्यिक विशेष सेवा का भुगतान	0.35
51		उद्योगों	मोटर वाहन के लिए	0.06
52	3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	जनगणना कार्य	1.00
53	3456	नगर आपूर्ति	उपभोक्ता सहायता के लिए	0.28
54	4215	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	ग्रामीण स्वच्छता पर व्यय	30.00
55	6860	उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	चीनी निल को उधार	0.48
कुल				<b>680.92</b>

(₹ करोड रु.)

बजट प्रावधान	राजस्व (दरमत)	राजस्व (भारित)	हौजीगत (दरमत)	हौजीगत (भारित)	कुल
मूल प्रावधान	725.60	0.00	2,279.76	0.00	3,005.36
अनुपूरक प्रावधान	251.91	0.00	752.95	0.00	1,004.86
<b>कुल</b>	<b>977.51</b>	<b>0.00</b>	<b>3,032.71</b>	<b>0.00</b>	<b>4,010.22</b>
ब्यय	746.75	0.00	1309.81	0.00	2056.56
बचत	230.76	0.00	1722.90	0.00	1953.66
बचत अवधारण	211.49	0.00	1600.91	0.00	1812.40

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का  
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य का वित्त)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं. ०	मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/योजनाएं	बजट प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	पुनरीक्षित प्रावधान	व्यय	बचत
<b>योजनाएं</b>							
1	4700-वृहद सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 02-गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजनाएं 800-अन्य व्यय 0404-नेपाल हितकारी योजना	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00
2	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 80-सामान्य 005-सर्वेक्षण एवं अन्वेषण 0101-रथापना	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
3	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 800-अन्य व्यय 0114-वित्त आयोग के अधीन बाढ़ नियंत्रण	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
4	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 800-अन्य व्यय 0610-गंगा नदी से कटाव निरोधक योजना	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00
5	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 800-अन्य व्यय 0611-जल निस्सारण परियोजनाएं	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
<b>कुल</b>		<b>541.50</b>	<b>0.00</b>	<b>541.50</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>541.50</b>

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष-विस्तृत शीर्ष-व्ययोजनावार	कुल	पुनर्विवेचित व्यय (-) अधिकार (+)	अंतिम अवृद्धि व्यय विवेचित व्यय	वास्तविक व्यय	आधिकार(+)
1	2700-गृह निवासी, 02-गोकर बैसिक की निवासी परिवेशकालीन (परिजिल्य), 001-निवेशन एवं प्रशासन, 0001-स्थापना	99.53	(-)11.95	87.58	87.66	0.08
2	2701-भवन निवासी, 03-गोकर भवन निवासी (सोने लेन्डिंग), 101-भवनात एवं स्थान-स्थावर व्यय	19.65	(-)1.29	18.36	33.82	15.46
3	2701-भवन निवासी, 04-गोकर भवन निवासी 101-भवनात एवं स्थान-स्थावर व्यय	8.85	(+)0.31	9.16	9.17	0.01
4	2701-भवन निवासी, 04-गोकर भवन निवासी 101-भवनात एवं स्थान-स्थावर व्यय	12.25	(-)5.39	6.86	8.34	1.48
5	2701-भवन निवासी, 80-सामान्य, 001-किंदेशन एवं प्रशासन, 0001-गृहालय राजिवालय स्थापना (परिवेशक प्रशासन)	4.50	0.00	4.50	4.53	0.03
6	4700-गृह निवासी पर मृद्गीगत परिव्यय, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 0101-राजीव सम विकास योजना	200.00	(-)62.29	137.71	141.73	4.02
7	4701-भवन निवासी पर मृद्गीगत परिव्यय, 04-भवन निवासी, 800-अन्य व्यय, 0103-किंदल व्युआ बंदन बैंडल पर निवासी परिवेशकालीन (कार्य)	25.60	(-)18.59	7.01	7.02	0.01
	कुल	370.38	(-)99.20	271.18	292.27	21.09

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का  
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य का वित्त)

क्रम संख्या	लेखे के मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		(₹ करोड़ में) मार्च 2011 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय का प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय का प्रतिशतता
1	2701-मध्यम सिंचाई (गजरख)	85.88	52.10	60.67	40.99	47.73
2	4700-वृहद सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	564.73	327.39	57.97	213.01	37.72
3	4701-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	42.00	19.96	47.52	13.07	31.11
4	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	702.90	399.91	56.89	263.50	37.49
5	6701-मध्यम सिंचाई के लिए ऋण	0.17	0.17	100.00	0.17	100.00
कुल		1395.68	799.53	57.28	530.74	38.02

क्रम सं.	निकाय का नाम	सुपुर्दी की अवधि	वर्ष जब तक के लेख प्रट्टित किए गए	अवधि जब तक के एवंक लेखा परीका रिपोर्ट जारी किए गए	तेलंगाना प्राप्त करने की तिथि	पुस्तक लेखा परीका रिपोर्ट जारी करने की तिथि	विचारिक में पुस्तक लेखा परीका रिपोर्ट रखी गई	तेलंगाना काले में सिलंव	अभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	विहार राज्य आर्द्धी आवोडोज बोर्ड, पटना	2002-03	2007-08	1989-90 से 1998-99	2007-08 तक लेखे प्राप्त	30 नवंबर 08 28 अप्रैल 09	सूचित नहीं किए गए	-	सुपुर्दी अमी लंबित है
2	विहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	2003-04	2006-07	2002-03 1994-95 से 1998-99 1999-2000 से 2002-03 2003-04	2006-07 तक लेखे प्राप्त	14 नवंबर 10 31 दिसंबर 08 20 जानवर 09 13 दिसंबर 10	सूचित नहीं किए गए	-	सुपुर्दी अमी लंबित है
3	विहार राज्य नियंत्रक तंत्र प्राधिकरण, पटना	स्थाई	2010-11	2009-10	02 जूल 11 06 दिसंबर 10	सूचित नहीं किए गए	-	-	
4	रोजेंड कृषि विश्वविद्यालय पूरा, समर्टीपुर	2010-11	2009-10	2006-07 2007-08 2008-09	13 अक्टूबर 10 11 अप्रैल 11 23 नवंबर 11	14 अक्टूबर 10 11 अप्रैल 11 1971-72 से 1994-95, 1998-99 से 2001 और 2003-04 से 2006-07 तक की अवधि के लिए राजकर को पढ़ने से भेजा जा सकता है जो विभाग में स्टॉर्क जारी सुदूरा प्रसीदित है।	3 जानूर 13 दिन	-	

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीका प्रतिवेदन (राज्य का वित्त)

क्रम सं.	विभाग/कार्यालय/निधि का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	मामलों की कुल संख्या
1	पथ निर्माण	6	01	07
2	जल संसाधन	11		11
3	भवन निर्माण	01		01
4	लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण	02		02
5	ग्रामीण विकास	635	81	716
6	श्रम संसाधन	03		03
7	उद्योग	02		02
8	समाज कल्याण	117		117
9	गृह	24		24
10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	33		33
11	भू-अर्जन	11		11
12	सामान्य प्रशासन	15		15
13	विधान सभा सदस्य/विधान परिषद् सदस्य निधि	01		01
14	सहकारिता	01		01
15	निर्वाचन	04		04
16	व्यवहार न्यायालय	01		01
17	पशुपालन एवं मतस्थ संसाधन	12		12
18	मानव संसाधन विकास	32		32
19	नगर विकास एवं आवास	25	04	29
20	पर्यावरण एवं वन	02		02
21	जिला उप-निबंधक	01		01
22	ग्रामीण कार्य	08		08
23	लघु जल संसाधन	01		01
कुल		948	86	1034

## परिशिष्ट 3.3

गवन, दुर्विनियोजन, हानि एवं चोरी के मामलों के  
संदर्भ में श्रेणीवार विवरण  
(संदर्भ क्रिका 3.4, पृष्ठ 47)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विभाग/कार्यालय/विभिन्न का नाम	गवन, दुर्विनियोजन, हानि तथा चोरी		
			संख्या	राशि
1	पश्चिमांश	07	2.59	
2	जल संसाधन	11	13.19	
3	भवन विभाग	01	0.33	
4	लोक स्वास्थ्य एवं अधिकारिता	02	2.46	
5	गांगीण विकास	716	328.36	
6	श्रम संसाधन	03	0.62	
7	उद्योग	02	5.67	
8	समाज कल्याण	117	12.66	
9	गृह	24	1.52	
10	स्थानीय एवं परियार कल्याण	33	5.26	
11	भू-अर्जन	11	3.80	
12	सामाजिक प्रशासन	15	6.73	
13	विधान सभा सदस्य/विधायिका	01	0.02	
14	सहकारिता	01	2.66	
15	दिवांग	04	1.43	
16	व्यवसाय व्यापारलय	01	0.29	
17	पशुपालन एवं मतस्थ संसाधन	12	5.18	
18	मालव संसाधन विकास	32	11.66	
19	वर्ग विकास एवं आवास	29	3.33	
20	पर्यावरण एवं वन	02	0.39	
21	पिलां उप-निवासक	01	0.26	
22	गांगीण कार्य	08	0.74	
23	लघु जल संसाधन	01	बजाय	
कुल		1034		409.15

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का  
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राज्य का वित्त)

103

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष कोड	नामावली	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत कुल व्यय का प्रतिशतता
1	2041	वाहन कर	12.00	16.92	70.92
2	2217	शहरी विकास	353.35	505.16	69.95
3	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	184.19	184.33	99.92
4	2501#	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	172.47	172.92	99.74
5	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	891.97	1548.10	57.62
6	3452	पर्यटन	3.07	6.04	50.83
7	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	38.80	51.75	74.98
8	4235 #	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	89.31	88.46	100.96
9	4700	वृहत सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	467.96	564.73	82.86
10	4701	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	37.33	42.00	88.88
11	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1007.23	1007.23	100
12	4859	दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	9.00	9.00	100
13	5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	26.55	26.55	100
		कुल	<b>3293.23</b>	<b>4223.19</b>	

औसत प्रतिशतता 77.98

( #) इनमें कमश: ₹ 0.45 एवं ₹ 0.85 करोड़ की वापसी लेखा शामिल है (जिसमें निधि शीर्ष का स्थानांतरण भी शामिल है) फलत: इसकी प्रतिशतता 100 से अधिक है।

(₹ करोड रु.)

क्रम सं.	बुँद्य शीर्ष कोड	आगावली	लघु शीर्ष 800 के अतिरिक्त प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अतिरिक्त कुल प्राप्तियाँ की प्रतिशतता
1	0029	भू-राजस्व	70.63	139.02	50.81
2	0059	लोक विनाश	6.72	6.73	99.85
3	0075	विविध सामाजिक सेवाएँ	0.21	0.34	61.76
4	0211	परिवार कल्याण	0.03	0.04	75.00
5	0216	आवास	2.84	4.74	59.92
6	0217	शहरी विकास	0.03	0.03	100
7	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2.32	2.38	97.48
8	0250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	5.13	5.27	97.34
9	0404	गण विकास	0.05	0.05	100
10	0425	सहकारिता	0.07	1.30	53.85
11	0506	शूष्मि सुधार	0.08	0.09	88.89
12	0515	अन्य आनींग विकास कार्यक्रम	20.94	21.93	95.49
13	0852	उद्योग	88.36	88.36	100
14	1054	संझट एवं सेतु	35.96	39.60	90.81
15	1055	संझट परिवहन	0.19	0.23	82.61
16	1456	स्थिविल आपूर्ति	0.05	0.05	100
		कुल	233.61	310.16	

ओसत प्रतिशत 75.36